

अध्याय – पांच

निष्पादन लेखापरीक्षा

- 5.1 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम
- 5.2 नगरीय स्थानीय निकाय में सेवा स्तर मानदण्ड

v/; k; i k p % fu"i knu y s [k k i j h { k k

uxjh; fodkl , oa i ; kbj . k foHkkx

5-1 , dh d' r vkokl , oa e f y u c L r h fodkl dk ; Ø e

dk ; i k y u | k j k a k

एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का एक घटक है, जिसे दिसम्बर 2005 में प्रारम्भ किया गया था । एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्र के मलिन बस्ती के वासियों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी अधोसंरचना सुविधायें मुहैया कराते हुए स्वस्थ एवं शहरी पर्यावरण के साथ मलिन बस्ती के समग्र विकास के लिए प्रयास करना है । एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम एक केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है । इसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन/नगरीय स्थानीय निकाय/पेरास्टेटल के मध्य निधियों का विभाजन 80:20 के अनुपात में है ।

मध्य प्रदेश राज्य के 53 शहरों में कार्यान्वयन के लिए 56 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनायें दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य अनुमोदित की गई थी । कुछ प्रमुख शहर जहां परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं उनमें बुरहानपुर (जिला-बुरहानपुर), देपालपुर (जिला-इन्दौर), खंडवा (जिला-खंडवा), पांडुर्ना (जिला-छिन्दवाड़ा), पेटलावद (जिला-झाबुआ), सतना (जिला-सतना) एवं रतनगढ़ (जिला-नीमच) हैं ।

मध्य प्रदेश शासन ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया था (दिसम्बर 2005) । राज्य में आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु परिलक्षित हुए:

- केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत आई.एच.एस.डी.पी. का कार्यान्वयन पूर्ण किए जाने की समय सीमा से पिछड़ गया था । 56 परियोजनाओं में से छह परियोजनाएं उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने एवं हितग्राहियों की उदासीनता के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकीं । शेष 50 परियोजनाओं में से मात्र 15 परियोजनाएं मार्च 2015 तक पूर्ण की जा सकीं । आगे पाया गया कि 35 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं (46 प्रतिशत), जो दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उन्हें 12 से 24 माह की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना था । इस प्रकार इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्षों की समाप्ति के उपरान्त भी परियोजनाएं अपूर्ण रहीं ।

%dfMdk 5-1-6½

- 56 परियोजनाओं में स्वीकृत 22,998 आवासीय इकाईयों में से 31 परियोजनाओं की 9,203 आवासीय इकाईयों (40 प्रतिशत) को समर्पित किया गया था एवं 42 परियोजनाओं में मात्र 8,766 आवासीय इकाईयों (38 प्रतिशत) को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जा सका । इन पूर्ण आवासीय इकाईयों में से 3,227 आवासीय इकाईयां हितग्राहियों को आवंटित की गई थी ।

%dfMdk 5-1-6½

- वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध निधि ₹ 154.45 करोड़ में से राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 129.10 करोड़ जारी किए । इस प्रकार 35 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं में राशि ₹ 7.62 करोड़ का राज्यांश कम जारी हुआ था । आगे, 9 चयनित नगरीय

स्थानीय निकायों ने राशि ₹ 1.18 करोड़ निकाय का अंश कम जमा किया ।

¶Mdk 5-1-7-1½

• आवासीय इकाइयों के हितग्राही अंश की गणना करते समय सर्वप्रथम शहरी गरीबों के आर्थिक सामर्थ्य पर मुख्यतः ध्यान देना चाहिए था । तथापि, सात नमूना जांच की गई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण आवासीय इकाइयों की प्रति इकाई लागत में ₹ 36,000 से ₹ 2.49 लाख की वृद्धि हुई परिणामस्वरूप हितग्राही अंश में भी वृद्धि हुई ।

¶Mdk 5-1-9½

• केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति के निर्देशों के अनुसार गरीबों के लिए आवासों एवं अधोसंरचना सुविधाओं में निष्पादन गुणवत्ता को अत्यधिक महत्व देना चाहिए था । तथापि, नमूना जांच की गई परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच/निर्मित आवासीय इकाइयों के संयुक्त परीक्षण में निर्धारित गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के पालन में कमी होना परिलक्षित हुआ ।

¶Mdk 5-1-10½

• परियोजनाओं का अनुवीक्षण पर्याप्त नहीं था क्योंकि परियोजना की त्रैमासिक समीक्षा हेतु वर्ष 2006-15 की अवधि में, राज्य स्तरीय समन्वय समिति निर्धारित 36 बैठकों के विरुद्ध 4 बैठकें ही आयोजित कर सकी । आगे, वर्ष 2008-2012 एवं 2013-2015 के दौरान कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई थी । हितग्राहियों की समितियां गठित नहीं होने के कारण आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी ।

¶Mdk 5-1-14-1 , oa 5-1-14-4½

5-1-1 iLrkouk

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.), भारत सरकार का सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है जो शहरो एवं कस्बों के गरीबों की अधोसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं से सम्बन्धित समस्याओं पर समग्र तरीके से ध्यान देने हेतु दिसम्बर 2005 में आरम्भ किया गया था । एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का एक उप-मिशन है, जो मिशन शहरों को छोड़कर, जहां जे.एन.एन.यू.आर.एम. लागू है, के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों में लागू है । आई.एच.एस.डी.पी. कार्यक्रम का मूल उद्देश्य चिन्हित शहरी क्षेत्र के मलिन बस्ती वासियों को पर्याप्त आश्रय तथा बुनियादी अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ एवं शहरी पर्यावरण के साथ मलिन बस्ती के समग्र विकास के लिए प्रयास करना है ।

आई.एच.एस.डी.पी. एक केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार नगरीय स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल के मध्य निधियों का विभाजन 80:20 के अनुपात में है । कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के घटकों में मलिन बस्ती सुधार/उन्नयन/पुनःस्थापन परियोजनाएं जिनमें आवासों का नवीन निर्माण/उन्नयन तथा अधोसंरचना सुविधाएं यथा जल आपूर्ति एवं जलमल निकासी सम्मिलित है ।

मध्यप्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चार मिशन शहरों/कस्बों¹ को शामिल किया गया है। 56 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाएं

¹ भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन

राज्य के 53 नॉन-मिशन शहरों में 5-1½ में दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित की गई थी ।

5-1-2 | अर्ध-वर्षिक

राज्य स्तर पर आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं का निष्पादन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया था । कार्यक्रम की अनुशंसा एवं कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय स्टीरिंग समिति का गठन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में किया गया था (फरवरी 2007) ।

आई.एच.एस.डी.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार, आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन के लिए राज्य शासन किसी संस्था को नोडल एजेंसी के रूप में अभिहित कर सकती है । तदनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया (दिसम्बर 2005) । राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तावों के मूल्यांकन करने, राज्य स्तरीय स्टीरिंग समिति के लिए इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने एवं परियोजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुवीक्षण हेतु उत्तरदायी थी ।

परियोजनाओं का निष्पादन संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा किया गया था । नगरीय स्थानीय निकायों की विद्यमान दक्षता में वृद्धि एवं सहायता हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने तीन क्षेत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां स्थापित की थीं । राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता हेतु कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भी स्थापित की गई थी ।

5-1-3 | लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह अभिनिश्चित करना था कि:

- परियोजनाओं का चयन एवं आयोजना आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी;
- निधियों का आवंटन एवं जारी किया जाना पर्याप्त एवं समयानुसार था;
- परियोजनाओं का निष्पादन अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार मितव्ययितापूर्ण व दक्षतापूर्ण था एवं मलिन बस्ती के रहवासियों को आवासीय इकाइयों का आवंटन पारदर्शितापूर्ण था;
- आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत सुधारों की कार्यसूची को प्रभावी रूप से लागू किया गया था; एवं
- वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनुवीक्षण पद्धति प्रभावपूर्ण थी ।

5-1-4 | लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित थे:

- शहरी आवासीय एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आई.एच.एस.डी.पी. के दिशानिर्देश एवं केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति के कार्यवृत्त ।
- आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन हेतु राज्य शासन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा जारी किए गए आदेश/परिपत्र ।

- मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता, मध्य प्रदेश लोक निर्माण कार्य नियमावली एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा समय समय पर तैयार की गई दरों की अनुसूची ।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के निरीक्षण एवं अनुवीक्षण के प्रतिवेदन एवं तृतीय पक्ष के निरीक्षण एवं अनुवीक्षण के प्रतिवेदन ।

5-1-5 ys[kki j h{kk l ekos ku , oa fØ; kfof/k

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चौदह नगरीय स्थानीय निकायों² द्वारा कार्यान्वित चौदह परियोजनाओं, राज्य में कुल परियोजनाओं के 30 प्रतिशत, का चयन व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन के बिना प्रतिस्थापन पद्धति से किया गया था । संबंधित आई.एच. एस.डी.पी. परियोजनाओं की स्वीकृति से मार्च 2015 तक की अवधि के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय एवं चयनित (सेम्पलड) परियोजनाओं को कार्यान्वित करने वाली नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी । कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों से भी जानकारी संग्रहित की गयी थी ।

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ प्रवेश सम्मेलन (16 मार्च 2015) में लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा की गयी । प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ दिनांक 9 सितम्बर 2015 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था । निर्गम सम्मेलन में व्यक्त दृष्टिकोणों एवं शासन के उत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है ।

ys[kki j h{kk fu" d" kZ

5-1-6 vkokl h; i fj; kst ukvka dh fLFkfr

शहरी आवासीय एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति ने दिसम्बर 2006 एवं मार्च 2012 के मध्य राज्य के 53 मिशन रहित शहरों में 56 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं को अनुमोदित किया था (i f j f' k" V&5-1) । इन परियोजनाओं में 22,998 आवासीय इकाईयों एवं अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण सम्मिलित था, जिन्हें इनकी स्वीकृति दिनांक से 12 से 24 माह में पूर्ण किया जाना था । वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि में कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गयी थी ।

56 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं को उपयुक्त भूमि के उपलब्ध न होने एवं हितग्राहियों की उदासीनता के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका । अतः केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति ने इन परियोजनाओं को निरस्त कर दिया था (मई 2014) । मार्च 2015 को स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति का विवरण rkfydk 5-1 में दिया गया है:

Rkfydk&5-1% e k p l 2015 dh fLFkfr ea j k T; ea Lohd'r i fj; kst ukvka dh fLFkfr

o" kZ	Lohd'r i fj; kst ukvka dh l a ; k	i w kZ d j u s dh fu/ k k f j r v o f/ k % e k g e h	i fj; kst ukvka dh fLFkfr		
			i w kZ	vi w kZ	fujLr
2006-07	23	12-24	8	13	2
2007-08	10	12-24	5	3	2
2008-09	4	24	—	4	—

² बैरसिया, बुरहानपुर, डीकेन, देपालपुर, खंडवा, खुजनेर, मोहगांव, पांडुना, पेटलावद, सतना, शहपुरा, सिंगौली, रतनगढ़ एवं तेंदुखेडा


वर्ष	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या		
			कुल	विद्यमान	अपूर्ण
2009-10	7	12	—	6	1
2010-11	5	12	2	2	1
2011-12	7	12	—	7	—
कुल	56		15	35	6

जैसा कि उपरोक्त तालिका 5-1 से स्पष्ट होता है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्षों के पश्चात् भी 56 स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र 15 परियोजनाओं को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जा सका। आगे पाया गया कि 35 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं (46 प्रतिशत) जो दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उन्हें 12 से 24 माह की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना था। इस प्रकार केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा परियोजना पूर्ण किए जाने की अनुमोदित समय सारणी से आई.एच.एस.डी.पी. का क्रियान्वयन पिछड़ गया था। भारत शासन ने परियोजना पूर्ण करने की अवधि को मार्च 2017 तक बढ़ा दिया था।

हमने आगे देखा कि 56 परियोजनाओं में स्वीकृत 22,998 आवासीय इकाइयों में से, 31 परियोजनाओं में 9,203 आवासीय इकाइयों (40 प्रतिशत) को समर्पित किया गया एवं 42 परियोजनाओं में मात्र 8,766 आवासीय इकाइयों (38 प्रतिशत) को पूर्ण किया जा सका (मार्च 2015)। इन पूर्ण की गयी आवासीय इकाइयों में से 3,227 (37 प्रतिशत) आवासीय इकाइयों को हितग्राहियों को आवंटित किया गया था। 4,547 आवासीय इकाइयों (20 प्रतिशत) को प्रगतिरत प्रतिवेदित किया गया था। जबकि 482 आवासीय इकाइयों का निर्माण, प्रारम्भ होना शेष था।

स्वीकृत आवासीय इकाइयों की स्थिति चार्ट 5.1 में दर्शायी गयी है:

चार्ट 5-1 मार्च 2015 तक स्वीकृत आवासीय इकाइयों की स्थिति



जैसा कि उपरोक्त चार्ट 5.1 से स्पष्ट होता है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्षों के पश्चात् भी 56 स्वीकृत परियोजनाओं में से मात्र 15 परियोजनाओं को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जा सका। आगे पाया गया कि 35 अपूर्ण परियोजनाओं में से, 16 परियोजनाएं (46 प्रतिशत) जो दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007 के मध्य स्वीकृत की गई थी, उन्हें 12 से 24 माह की निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना था। इस प्रकार केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा परियोजना पूर्ण किए जाने की अनुमोदित समय सारणी से आई.एच.एस.डी.पी. का क्रियान्वयन पिछड़ गया था। भारत शासन ने परियोजना पूर्ण करने की अवधि को मार्च 2017 तक बढ़ा दिया था।

31 परियोजनाओं में 40 प्रतिशत स्वीकृत आवासीय इकाइयों के समर्पण का कारण भूमि की अनुपलब्धता, हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप न दिया जाना, टेण्डर प्रक्रिया में विलम्ब, ठेकों के निरस्त होने पर कार्यों को पुनः सौंपने एवं आवासीय इकाइयों के प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने के कारण चयनित हितग्राहियों द्वारा कम रुचि लेना था, जैसा कि कंडिका 5.1.9 में चर्चा की गयी है।

आई.एच.एस.डी.पी. मलिन बस्ती के रहवासियों को बेहतर आवासीय, जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं पूर्व से विद्यमान अन्य सार्वभौमिक सुविधाओं को प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। हमने देखा कि नमूना जांच की गयी सात परियोजनाओं³ की सभी स्वीकृत 989 आवासीय इकाइयों को मार्च 2015 तक पूर्ण कर

³ बुरहानपुर, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, मोहगांव, पेटलावद एवं सिंगौली

लिया गया था। जिनमें से, 248 आवासीय इकाई हितग्राहियों को आवंटित की गई थीं तथापि, अधोसंरचना कार्य जैसे सड़क, सीवर लाइन, नालियां, ओवरहेड टैंक, कम्यूनिटी हॉल अपूर्ण थे (i f j f' k"V 5-2)। इन परियोजनाओं में अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत लागत राशि ₹ 12.01 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2.26 करोड़ की वित्तीय प्रगति हुई थी। इस प्रकार, इन परियोजनाओं में मलिन बस्ती रहवासियों को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सुनिश्चित नहीं किए जा सके थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (सितम्बर 2015), शासन ने बताया कि विलम्ब का कारण निविदाकारों द्वारा प्रतिक्रिया न दिखाना एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया में देरी होना था। आवासीय इकाईयों के आवंटित न होने के सम्बन्ध में शासन ने बताया कि हितग्राही अंश समय से जमा नहीं किया गया था एवं अब बैंक ऋण की व्यवस्था की गई थी। अपूर्ण अधोसंरचना के सम्बन्ध में शासन ने बताया कि अधोसंरचना के कार्य आवासीय इकाईयों के निर्माण के पश्चात् किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि इन परियोजनाओं की स्वीकृति के छह से नौ वर्ष समाप्ति के पश्चात् भी नगरीय स्थानीय निकाय परियोजनाओं को पूर्ण नहीं कर सके एवं बड़े अनुपात में आवासीय इकाईयों को समर्पित किया गया था। आगे, यह उत्तर कि आवासीय इकाईयों के पूर्ण होने के पश्चात् अधोसंरचना कार्य किये जायेंगे, मान्य नहीं है क्योंकि इन सभी सातों नमूना जांच की गयी परियोजनाओं में सभी स्वीकृत आवासीय इकाईयां पूर्ण की जा चुकी थीं। इस प्रकार, मलिन बस्ती रहवासियों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

vuq kd k

परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए राज्य शासन को परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। पूर्ण आवासीय इकाईयों को योग्य हितग्राहियों को आवंटित कराने के प्रयास में शासन को आगे आना चाहिए। आवासीय इकाईयों के पूर्ण होने के साथ साथ आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की अधोसंरचना कार्य को पूर्ण किए जाने के प्रयास भी किए जाएं ताकि आवंटियों को अभीष्ट बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

5-1-7 foRrh; i xU/ku

5-1-7-1 fuf/kdj.k i) fr%

आई.एच.एस.डी.पी. केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है जिसमें स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्र सरकार और राज्य शासन/नगरीय स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल के मध्य निधियों का विभाजन 80:20 के अनुपात में है। मध्य प्रदेश शासन ने परियोजना की आवासीय इकाईयों के संबंध में राज्य शासन एवं हितग्राहियों के मध्य अंशदान का विभाजन 8:12 के अनुपात में किये जाने का निर्णय लिया था (जुलाई 2007)। आगे, अधोसंरचना विकास की लागत हेतु राज्यांश निधि, राज्य शासन एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 10:10 के अनुपात में की जानी थी।

आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय अनुदान की पात्रता के लिए राज्य के अंश को पृथक खाते में जमा किया जाना था। राज्यांश जमा होने के सत्यापन उपरांत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को 50 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान की राशि जारी की जानी थी। द्वितीय किस्त प्रगति के आधार पर जारी की जानी थी।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के पास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध निधियों की स्थिति rkfydk 5-2 में दर्शाई गई है।

Rkkfydk&5-2% o"z 2010&11 l s 2014&15 ds nkjku e/; jkT; Lrjh; ukMy , td h ds i kl fuf/k; ka dh mi yC/krk dh fLFkfr

(₹ djkm+e)

o"z	i kj fEHkd 'k'sk	o"z ea Hkkjr l jdkj l s i klr fuf/k , oa jkT; ka k	o"z ea i klr C; kt	dy mi yC/k fuf/k	uxjh; LFkkuh; fudk; dks tkjh jkf'k	Ok"z ds var ea 'k'sk %mi yC/k fuf/k ds fo:) viz; Or dk ifr'krh
1	2	3	4	5	6	7
2010-11	53.02	7.64	1.62	62.28	13.75	48.53(78)
2011-12	48.53	18.96	1.91	69.40	43.85	25.55(37)
2012-13	25.55	20.51	1.24	47.30	25.27	22.03(47)
2013-14	22.03	20.12	0.99	43.14	23.19	19.95(46)
2014-15	19.95	27.57	0.87	48.39	23.04	25.35(52)
; ksx		94-80	6-63		129-10	

ekpl 2015 rd jkT; Lrjh; ukMy , td h , oa 14 ueuk tkp fd, x, uxjh; LFkkuh; fudk; ka ds i kl ₹ 36-09 djkm+ viz; Or j [ks gq Fks A

uxjh; i rkk l u , oa fodkl l pkyuky; } jk i Lr r tkudkj h

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुल उपलब्ध राशि ₹ 154.45 करोड़ में से नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 129.10 करोड़ जारी किए थे । इस प्रकार, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के पास राशि ₹ 25.35 करोड़ शेष थी । इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि नमूना जांच किए चौदह नगरीय स्थानीय निकायों में मार्च 2015 तक राशि ₹ 10.74 करोड़ अप्रयुक्त रखी थी ।

5-1-7-2 fuf/k; ka dk de tkjh gkuk

कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के समय पर निष्पादन हेतु निधियों को जारी किया जाना था जिससे कि शहरी गरीबों को पर्याप्त आश्रय एवं बुनियादी अधोसंरचना सुविधाएं समय पर प्रदान की जा सकें । यद्यपि, हमने देखा कि नीचे दर्शाए अनुसार परियोजना कार्यान्वयन हेतु कम राशि जारी की गई:

(i) भारत सरकार ने सात परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को ₹ 15.24 करोड़ केन्द्रांश जारी किया ₹ 5-3½ । तथापि, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों को मात्र ₹ 9.98 करोड़ जारी किए, फलस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 5.26 करोड़ कम जारी हुए ।

(ii) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य शासन को केन्द्रांश के साथ उनका अपना अनुरूप अंश कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करना चाहिए । हमने पाया कि 35 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं में ₹ 5-4½ ₹ 7.62 करोड़ का कम राज्यांश जारी हुआ ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि राज्यांश को समय पर जारी किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 35 आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं में राज्यांश कम जारी किया गया था ।

jkT; 'kkl u us ₹ 7-62 djkm dk jkT; ka k de tkjh fd; ka

(iii) नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में हमने पाया कि नौ नगरीय स्थानीय निकायों ने उनके अंश ₹ 2.24 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ जमा किए । परिणामस्वरूप नगरीय स्थानीय निकायों का अंश ₹ 1.18 करोड़⁴ कम जमा हुआ ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि कुछ नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे जिसके फलस्वरूप उनका अंश विलम्ब से जारी हुआ ।

5-1-7-3 fgrxkgh vāknku dk de l xg.k gkuk

वर्ष 2008-09 के बाद स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश के निर्धारण हेतु आवासीय इकाईयों की अधिकतम लागत सीमा ₹ एक लाख थी । इससे पूर्व, केन्द्रांश के निर्धारण हेतु आवासीय इकाईयों की अधिकतम लागत सीमा ₹ 80,000 निर्धारित की गई थी ।

राज्य शासन के परिपत्र (जुलाई 2007) के अनुसार, आवासीय इकाईयों की लागत हेतु राज्यांश राज्य शासन एवं हितग्राहियों के मध्य 8:12 के अनुपात में वहन किया जाना था । तथापि, आवासीय इकाईयों के ₹ 80,000 से अधिक की लागत की स्थिति में अतिरिक्त लागत का वहन हितग्राहियों द्वारा ही किया जाना था । आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निविदाओं का आमंत्रण हितग्राहियों के अंशदान हेतु बैंकों से वित्तपोषण सुनिश्चित होने के उपरान्त ही किया जाना था ।

दस नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों⁵ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चिन्हित हितग्राहियों से प्राप्य हितग्राही अंश ₹ 13.77 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹ 1.46 करोड़ (11 प्रतिशत) वसूल किया जा सका, इस प्रकार ₹ 12.31 करोड़ का हितग्राही अंश वसूली हेतु शेष था । हमने आगे यह भी देखा कि तीन नगरीय स्थानीय निकायों ने हितग्राही समरूप अंश के जमा न होने से ऋण लेकर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया, जिसका विवरण rkydk 5-3 में दर्शाया गया है ।

rkydk&5-3% uxjh; LFkkuh; fudk; ka ds }kj k fy, x, __.k dk foj .k

₹ djkm+e#

uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	[kqtuj	Ekkgxko	i \$/ykon
हुडको से लिया गया ऋण	0.89	2.28	1.27
वसूली हेतु शेष हितग्राही अंशदान	0.72	1.37	0.42

1/ kr-% ueuk tkp fd; s x; s uxjh; LFkkuh; fudk; 1/2

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि दिशानिर्देशों के अनुसार हितग्राहियों की सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा था एवं हितग्राही अंशदान की व्यवस्था के लिये ऋण हेतु बैंकों को संबद्ध किया गया है ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जांच की गयी दस नगरीय स्थानीय निकायों में पूर्व से चिन्हित किए गए हितग्राहियों से सम्बन्धित अवसूलीकृत हितग्राही अंशदान की राशि ₹ 12.31 करोड़, अवसूलीकृत रही ।

⁴ देपालपुर (₹ 6.80 लाख), डीकेन (₹ 15.17 लाख), खंडवा (₹ 16.52 लाख), मोहगांव (₹ 23.62 लाख), रतनगढ़ (₹ 18.83 लाख), सतना (₹ 3.59 लाख), शाहपुरा (₹ 3.29 लाख), सिंगौली (₹ 10.09 लाख) तथा तेडुखेड़ा (₹ 20.37 लाख),

⁵ बुरहानपुर (₹ 4.73 करोड़), देपालपुर (₹ 0.06 करोड़), डीकेन (₹ 0.88 करोड़), खण्डवा (₹ 1.32 करोड़), खुजनेर (₹ 0.71 करोड़), मोहगांव (₹ 1.37 करोड़), पांडुना (₹ 0.95 करोड़), पेटलावद (₹ 0.42 करोड़), रतनगढ़ (₹ 1.25 करोड़) और सिंगौली (₹ 0.62 करोड़)

5-1-7-4 *fujLr ifj; kst uk vk@l efi r vkokl h; bdkbz; ka dh fuf/k; ka dks uxjh; LFkkuh; fudk; ka l s oki l i klr ugha djuk*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की 154वीं एवं 158वीं बैठक (क्रमशः मई 2014 एवं फरवरी 2015) के निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा निरस्त परियोजनाओं से सम्बन्धित निधियों को जारी परियोजनाओं की उत्तरवर्ती किशतों में समायोजित किया जाना था । कोई भी असमायोजित निधि को 9 प्रतिशत ब्याज की दर के साथ वापस किया जाना था ।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि निरस्त परियोजनाओं/समर्पित आवासीय इकाईयों से सम्बन्धित निधियों को नगरीय स्थानीय निकायों से वापस नहीं लिया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

uxjh; iz kkl u
, oa fodkl
l pkyuky; us
[kMok dh fujLr
ifj; kst uk dh
ykr ₹ 3-77
dj kM+ dks oki l
ugha fy; k A

(i) आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना, खंडवा-II को केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा अपेक्षित भूमि उपलब्ध न होने के कारण निरस्त किया गया था (मई 2014)। तथापि, नगर निगम खंडवा को जारी ₹ 3.77 करोड़ को मार्च 2015 तक वापस नहीं लिया गया था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में राज्य शासन ने बताया कि निरस्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में जारी राशि को सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों से वापस लिया जाएगा ।

(ii) खंडवा-II परियोजना के अतिरिक्त, 25 परियोजनाओं में 24 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा 6,296 आवासीय इकाईयों को भूमि की अनुपब्धता एवं हितग्राहियों द्वारा विस्थापन से इंकार किये जाने के कारण समर्पित किया गया था । तथापि, सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकायों से आवासीय इकाईयों की अनुपातिक लागत राशि ₹ 25.86 करोड़ $\frac{1}{2}$ f' k"V 5-5½ को वापस नहीं लिया गया था ।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2015), आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बताया कि नगरीय स्थानीय निकायों को बैठकों एवं पत्राचार के माध्यम से राशि वापस करने हेतु निर्देशित किया गया था । तथापि, निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2015) शासन ने बताया कि राशि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के पास उपलब्ध थी तथा भारत सरकार से राशि के समायोजन की पद्धति को सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था ।

5-1-7-5 *vkbl, p-, l -Mh- i h- fuf/k; ka dk 0; i orL*

परियोजना हेतु आवंटित निधियों को आवासीय इकाईयों एवं अन्य स्वीकृत अधोसंरचना निर्माण हेतु उपयोग किया जाना था । तथापि, चार नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में हमने पाया कि राशि ₹ 1.05 करोड़ का उपयोग कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों हेतु किया गया था जैसा कि rkfydk 5-4 में दर्शाया गया है ।

rkfydk&5-4% fuf/k; ka ds 0; i orL dk fooj .k

uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	fuf/k; ka ds 0; i orL dk fooj .k
नगर निगम बुरहानपुर	आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, नगरीय स्थानीय निकायों को आई.एच.एस.डी.पी. निधि की प्राप्ति एवं व्यय हेतु प्रत्येक परियोजनाओं का वाणिज्यिक बैंक में पृथक खाता खोलना एवं संधारित करना आवश्यक था । अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि आई.एच.एस.डी.पी. की निधि से की गई सावधिक जमा पर प्राप्त ब्याज के साथ राशि ₹ 91.53 लाख को कार्यक्रम के खाते से नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरित किया गया था । आई.एच.एस.डी.पी. निधि का नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरण आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल था ।

uxjh; LFkkuh; fudk; dk uke	fuf/k; k ds 0; i oru dk fooj .k
नगर परिषद देपालपुर	राशि ₹ 8.24 लाख का उपयोग मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के अंतर्गत निर्माण कार्यों एवं ऋण के पुनर्भुगतान में किया गया ।
नगर परिषद रतनगढ़	आई.एच.एस.डी.पी. निधि राशि ₹ 0.67 लाख का उपयोग छोटे एवं मझौले शहरों के विकास हेतु समग्र अधोसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस. एम.टी) के अन्तर्गत जल आपूर्ति परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु किया गया था ।
नगर परिषद सिंगौली	आई.एच.एस.डी.पी. निधि पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 4.57 लाख को कार्यक्रम के खाते में जमा करने के स्थान पर नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरित किया गया था । आई.एच.एस.डी.पी. निधि का नगरीय स्थानीय निकाय के खाते में अंतरण आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल था ।

(Lkkr: ueuk tkp fd, x, uxjh; LFkkuh; fudk;)

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2015) राज्य शासन ने बताया कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को व्यपवर्तित राशि को परियोजना के खाते में जमा करने हेतु निर्देशित किया जाएगा ।

5-1-8 i fj; kst ukvka dk dk; kJo; u

5-1-8-1 vokLrfod foLrr ifj; kst uk ifronuka dk cuk; k tkuk

जैसा कि कंडिका 5.1.6 में चर्चा की गयी कि 31 परियोजनाओं की 9,203 आवासीय इकाइयों को, जो कि इन परियोजनाओं में स्वीकृत आवासीय इकाइयों का 40 प्रतिशत थी, समर्पित करना पड़ा था । आगे, मार्च 2015 तक 42 परियोजनाओं में पूर्ण की गई 8,766 आवासीय इकाइयों में से, मात्र 3,227 आवासीय इकाइयों (37 प्रतिशत) को ही हितग्राहियों को आवंटित किया जा सका । हमने यह भी देखा कि स्वीकृत आवासीय इकाइयों के समर्पण एवं पूर्ण आवासीय इकाइयों के आवंटन में विलम्ब होने के कारणों में एक कारण अवास्तविक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का बनाया जाना था जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है:

(i) foLrr ifj; kst uk ifronuka ds r\$kj djus ds iwo/ l kelftd&vkffkd l o\$ k. k ugha fd; k tkuk

आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के अन्तर्गत अर्थपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाए जाने के लिए सम्भावित हितग्राहियों एवं मलिन बस्तियों का सर्वेक्षण अनिवार्य था । प्रत्येक डी.पी.आर. में सर्वेक्षण आधारित हितग्राहियों की सूची सलंगन की जानी थी । इस हेतु नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल सेल बनाया जाना था ।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने नगरों/कस्बों के मलिन बस्ती की रूपरेखा, मलिन बस्ती परिवारों की रूपरेखा एवं आजीविका की रूपरेखा तैयार करने एवं सर्वेक्षण करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे । दिशानिर्देशों के अनुसार, मलिन बस्ती क्षेत्र की सामान्य जानकारी, नगरीय स्थानीय निकायों की मलिन बस्तियों की रूपरेखा, परिवारों का सर्वेक्षण एवं आजीविका की रूपरेखा एकत्रित की जानी थी ।

नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि सर्वेक्षण हेतु नोडल सेल का गठन नहीं किया गया था । 14 नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में मात्र एक नगरीय स्थानीय निकाय (बुरहानपुर) में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाये जाने से पूर्व सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था । परिणामस्वरूप, आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों का मलिन बस्ती रूपरेखा एवं आजीविका की रूपरेखा से सम्बन्धित डाटाबेस तैयार नहीं

किया जा सका था । हमने देखा कि आठ नगरीय स्थानीय निकायों⁶ ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन उपरान्त हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप दिया था । इस प्रकार, सम्भावित हितग्राहियों की पहचान किए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे ।

निर्गम सम्मेलन में (सितम्बर 2015) राज्य शासन ने उत्तर में बताया कि मलिन बस्ती क्षेत्र के निवासियों की सूची के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे । आगे यह भी बताया गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार वास्तविक हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगरीय स्थानीय निकायों को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप देना था, जो कि नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नहीं किया गया था ।

(ii) *Hkfe dh mi yC/krk , oa fgrxkfg; ka dh l gefr dks l fuf'pr ugha fd; k tkuk*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति ने निर्देशित किया था (फरवरी 2009) कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय गरीबों के आवासों के लिए भूमि की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए । किसी भी पुनर्वास/पुनर्स्थापन एवं हितग्राही अंशदान के भुगतान हेतु हितग्राहियों की सहमति ली जानी थी ।

चूँकि सम्भावित हितग्राहियों की पहचान किए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए थे, अतः पुनर्वास/पुनर्स्थापन एवं हितग्राही अंशदान के भुगतान हेतु हितग्राहियों की सहमति सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

हमने देखा कि छह स्वीकृत आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं (बालाघाट, चांदामेटा, खंडवा-II, महिदपुर, मंडीदीप एवं ओरछा) को भूमि की अनुपलब्धता एवं हितग्राहियों की सहमति न होने के कारण निरस्त किया जाना था । इसके अतिरिक्त, नगरीय स्थानीय निकायों⁷ द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने हेतु किया गया ₹ 28.23 लाख का व्यय निष्फल रहा ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि नगरीय स्थानीय निकायों पर प्रतिवेदित व्यय की जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही थी एवं आवश्यक वसूली की जाएगी ।

5-1-9 *vtokl h; bdkbz; ka ds ykxr dh l kef; l dk l fuf'pr ugha fd; k tkuk*

आई.एच.एस.डी.पी. की दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन द्वारा हितग्राहियों को आवास मुफ्त में नहीं दिए जाने चाहिए । तथापि, आवासीय इकाइयों के लिये हितग्राही अंश की गणना करते समय शहरी गरीबों की आर्थिक सामर्थ्य का मुख्यता से ध्यान रखना चाहिए था । मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (जुलाई 2007) किया कि परियोजनाओं की आवासीय इकाइयों के संबंध में राज्यांश राज्य सरकार और हितग्राहियों के मध्य 8:12 के अनुपात में वहन किया जाएगा । आवासीय इकाइयों के ₹ 80,000 से अधिक की लागत की स्थिति में अतिरिक्त लागत का वहन हितग्राहियों द्वारा ही किया जाना था ।

⁶ देपालपुर, खंडवा, खुजनेर, मोहगांव, पांढुना, पेटलावद, रतनगढ़ और सिंगौली

⁷ बालाघाट, चांदामेटा, महिदपुर और मंडीदीप

नमूना जांच की गयी सात नगरीय स्थानीय निकायों⁸ में हमने पाया कि आवासीय इकाइयों की प्रारम्भिक निर्माण लागत ₹ 0.80 लाख से ₹ 1.70 लाख थी । इस प्रकार, हितग्राहियों द्वारा प्रत्येक आवासीय इकाई के लिये ₹ 9,600 से ₹ 0.99 लाख भुगतान किया जाना था । तथापि, परियोजनाओं के विलम्ब से निष्पादन होने के कारण, आवासीय इकाइयों की प्रति इकाई लागत में ₹ 36,000 से ₹ 2.49 लाख की वृद्धि हुयी एवं एक आवासीय इकाई के लिए हितग्राही का अंशदान ₹ 0.65 लाख से ₹ 2.78 लाख तक बढ़ गया था । इस प्रकार, शहरी गरीबों हेतु आवासों की लागत सामर्थ्य सुनिश्चित नहीं की जा सकी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि वर्ष 2008 से 2010 में मूल्यों में अचानक वृद्धि होने के कारण आवासीय इकाइयों की लागत में वृद्धि हुई । आगे यह भी बताया गया कि राज्य द्वारा बढ़े हुए वित्तीय भार को वहन किया गया था एवं निवासियों को अधिकतम ₹ 1.20 लाख प्रति इकाई भुगतान करना है ।

तथ्य यह है कि प्रति इकाई आवासीय इकाई हेतु हितग्राही का अंशदान ₹ 9,600 से ₹ 1.20 लाख तक बढ़ गया था ।

5-1-10 dk; l dh fu"i knu xq koRrk dk l fuf'pr u fd; k tkuk

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति के निर्देशों के अनुसार, गरीबों हेतु आवासों एवं अधोसंरचना सुविधाओं में गुणवत्ता के साथ निष्पादन हेतु अत्यधिक महत्व देना चाहिए । तथापि, नमूना जांच की गयी परियोजनाओं के अभिलेखों की जांच/निर्मित आवासीय इकाइयों के संयुक्त निरीक्षण में आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देश/मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली/नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय की दरों की अनुसूची में उल्लेखित गुणवत्ता नियन्त्रण मानकों के पालन करने में निम्नलिखित कमियां 1/4rkfydk 5-5½ परिलक्षित हुई A

rkfydk&5-5% ueuk tkp dh xbl i fj ; kstukvka ea xq koRrk ekudka ds i kyu ea i kbl xbl dfe; ka

I - Ø	xq koRrk fu; ll=.k ekud	xq koRrk fu; ll=.k ds ekudka ds i kyu dh lLFkfr
1	मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली के नियम 6.016 के अनुसार कार्यस्थल पर दैनिक नियमित परीक्षण हेतु मैदानी प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए ।	बुरहानपुर एवं पेटलावद को छोड़कर नमूना जांच की परियोजनाओं के कार्यस्थल पर मैदानी प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की गई थी ।
2	यूएडीडी द्वारा जारी की गयी भवन दरों की अनुसूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा लाए गए सीमेंट के भाग का उपयोग परीक्षण में संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने पर ही अनुमत्य होगा । सीमेंट रजिस्टर में परीक्षण के परिणामों का उल्लेख किया जाएगा ।	नमूना जांच की गयी आठ नगरीय स्थानीय निकायों (बैरसिया, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, पेटलावाद, रतनगढ़, सतना एवं शाहपुरा) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सीमेंट रजिस्टर संघारित नहीं किए गए थे । सीमेंट रजिस्टर के अभाव में उपयोग किए गए सीमेंट की गुणवत्ता एवं उनके परीक्षण के परिणामों को सत्यापित नहीं किया जा सका ।
3	यूएडीडी द्वारा जारी की गयी भवन दरों की अनुसूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार परियोजना हेतु "कार्यस्थल आदेश पुस्तिका" संघारित की जानी थी जिसमें प्रभारी यंत्री या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि ठेकेदारों द्वारा उसके निर्देशों के अनुपालन को अभिलिखित	बुरहानपुर एवं खंडवा के प्रकरणों को छोड़कर इस प्रकार की पंजी का संघारण नहीं किया गया ।

⁸ बैरसिया, बुरहानपुर, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, मोहगांव एवं पांडुना

I - Ø	xq koRrk fu; ll=.k ekud	xq koRrk fu; ll=.k ds ekudka ds i kyu dh fLFkfr
	करेंगे ।	
4	मध्य प्रदेश निर्माण कार्य नियमावली वॉल्यूम-1 के नियम 7.004 के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्यस्थल का प्रारम्भिक लेवल, लेवल बुक में दर्ज करना चाहिए ।	सात स्थानीय निकायों (बैरसिया, बुरहानपुर, देपालपुर, डीकेन, खुजनेर, मोहगांव एवं शहपुरा) में प्रारम्भिक लेवल दर्ज नहीं किया गया था । प्रारम्भिक लेवल दर्ज नहीं किए जाने से खुदाई की एवं पुनः भराई की गयी मिट्टी की मात्रा अभिनिश्चित नहीं की जा सकी ।

(Ltkr: ueuk tkp fd, x, uxjh; LFkkh; fudk;)

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि प्रकरणवार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा एवं उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी ।

vuq kd k

शासन को आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने वाले नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

5-1-11 Bcdnkjka ds ns dka l s y?kq [kfutka ds mi; ksx grq jk; YVh dh dVks'h u fd; k tkuk

मध्य प्रदेश खनिज एवं संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र (जुलाई 2004) के अनुसार, ठेकेदारों के देयकों का अन्तिम भुगतान जिला कलेक्टर द्वारा जारी "रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जाए ।

अभिलेखों की जांच में परिलक्षित हुआ कि दो नगरीय स्थानीय निकायों⁹ में, आई.एच.एस.डी.पी. के निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों द्वारा 29,700.963 घनमीटर लघु खनिज¹⁰ का उपयोग किया गया । तथापि, ठेकेदारों को ₹ 3.67 करोड़ के अन्तिम भुगतान (₹ 24.50 लाख रायल्टी सहित) बिना "रायल्टी क्लियरेंस प्रमाण-पत्र" प्राप्ति के किए गए ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि मामले का परीक्षण किया जाएगा एवं तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

5-1-12 ifrHkfr tek dh vfu; fer oki l h

मानक निविदा प्रपत्र के अनुच्छेद 19 के अनुसार, भवन निर्माण के प्रकरणों में, ठेकेदारों से काटी गयी प्रतिभूति जमा की 50 प्रतिशत राशि लगातार दो वर्षाकालों तक छतों के परीक्षण पूर्ण होने एवं दोषों के दूर करने तक रोकी जाएगी ।

हमने देखा कि तीन नगरीय स्थानीय निकायों¹¹ ने ठेकेदारों को पूर्ण किये कार्यों के संदर्भ में अन्तिम भुगतान के साथ प्रतिभूति जमा की राशि ₹ 29.33 लाख वापस कर दी जो निविदा की शर्तों के विपरीत था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों को भवन निर्माण के प्रकरणों में निविदा शर्तों को पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । आगे यह भी कहा गया कि अनियमितताओं के प्रकरणों में उचित कार्रवाई की जाएगी ।

⁹ देपालपुर एवं पेटलावद

¹⁰ धातु 6,833.665 घन मीटर, रेत 20,314.908 घन मीटर एवं मुरम 2,552.39 घन मीटर

¹¹ देपालपुर, डीकेन एवं पांडुना

5-1-13 | *विकसित भूमि का विकास; कृषि; उ*

नगरीय शासन में सुधार एवं नगरीय स्थानीय निकायों की साख दर को बढ़ाने के साथ उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आई.एच.एस. डी.पी. में, राज्य शासन एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सुधारों की कार्यसूची को अपनाने एवं उनको क्रियान्वित करने हेतु प्रावधान किया गया है। आई.एच.एस.डी.पी. की दिशानिर्देश के अनुसार, मलिन बस्ती में किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुधार निम्नलिखित थे:

- शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाओं हेतु स्थानीय निकायों के बजट में पृथक आन्तरिक प्रावधान किया जाना;
- प्रत्येक आवासीय परियोजनाओं में (सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं दोनों के द्वारा) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के समूह हेतु विकसित भूमि का पृथक से प्रावधान किया जाना।

14 नमूना जांच किये नगरीय स्थानीय निकायों में से, तीन नगरीय स्थानीय निकायों¹² में "शहरी गरीबी निधि" का प्रावधान बजट में किया गया था $\frac{1}{2}$ 5-6½। तथापि, इन निधियों में से किए गए व्यय के संबंध में कोई अभिलेख पृथक से संधारित नहीं किया गया था। आगे, मात्र तीन नगरीय स्थानीय निकायों¹³ में प्रत्येक आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं दोनों के द्वारा) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के समूह हेतु विकसित भूमि को अलग रखने का प्रावधान अपनाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि राज्य द्वारा 25 प्रतिशत इकाइयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के समूहों के आरक्षण हेतु सुनिश्चित किया था। तथापि, राज्य भूमि के प्रतिशत के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो पाया था एवं इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाया गया था।

विकास

आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी गरीबों की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु बनाये गये सुधारों को तुरंत कार्यान्वित करना चाहिए।

5-1-14 | *विकसित भूमि का विकास; कृषि; उ*

5-1-14-1 | *विकसित भूमि का विकास; कृषि; उ*

आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों की कंडिका 13 के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति को कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुशासित/स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं का त्रैमासिक अनुवीक्षण सुनिश्चित कराना था।

हमने देखा कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने 2006-07 से 2014-15 के दौरान आवश्यक 36 बैठकों के विरुद्ध मात्र चार बैठकें¹⁴ आयोजित की थी। आगे, वर्ष 2008-12 एवं 2013-15 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। इस प्रकार, राज्य स्तर पर जारी परियोजनाओं की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

¹² देपालपुर, डीकेन एवं पांडुना

¹³ बैरसिया, बुरहानपुर एवं खुजनेर

¹⁴ 2006-07 में दो, 2007-08 एवं 2012-13 प्रत्येक में एक

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी स्तर पर परियोजनावार पृथक अभिलेख रखे जा रहे थे ।

तथ्य यह है कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित आवृत्ति के अनुसार प्रगतिरत परियोजनाओं का अनुवीक्षण नहीं किया गया था ।

5-1-14-2 *dk; De i cdku bdkb/*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की विशेष बैठक (सितम्बर 2007) के कार्यवृत्त के अनुसार, परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन किया जाना था । कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, राज्य स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को आवश्यक तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये उत्तरदायी थी । केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की 62वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को 31 मार्च 2009 तक गठित किया जाना था ।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का गठन (जुलाई 2010) निविदा आमंत्रण एवं राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के साथ अनुबन्ध कार्यान्वित कर किया गया था । हमने देखा कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, परियोजनाओं के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों एवं नगरीय स्थानीय निकायों से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित कर रही थीं । तथापि, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई अपने द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को तकनीकी सहायता प्रदान करने के पक्ष में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सकी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को मजबूत किया जाएगा ।

5-1-14-3 *ifj; kst uk dk; kll; u bdkb/*

केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति की विशेष बैठक (सितम्बर 2007) के कार्यवृत्त के अनुसार, परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों का गठन नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर किया जाना था । यह सुधारों एवं परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार थी । परियोजना कार्यान्वयन इकाईयां परियोजना के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराने एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनों को अग्रपेक्षित करने के लिये उत्तरदायी थीं ।

हमने पाया कि तीन¹⁵ क्षेत्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों का गठन अगस्त 2010 में किया गया था । परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की जांच में पाया कि सुधारों को अपनाने सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदनों को नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को नियमित नहीं भेजा जा रहा था । परियोजना के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार हेतु नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कलेन्डर तैयार नहीं किया गया था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि परियोजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाईयों को सुदृढ किया जाएगा ।

5-1-14-4 *vkb/, p-, / -Mh-i h- ds dk; kll; u dh / kekftd ys[kki jh{k*

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के परिपत्र (जून 2008) के अनुसार, परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा हितग्राही समितियों द्वारा की जानी थी । नगरीय विकास एवं

15

भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर

पर्यावरण विभाग के एक अन्य परिपत्र (दिसम्बर 2012) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु शहर स्तरीय समिति भी बनाई जाए, जो सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु योजना एवं समय सीमा निर्धारित करेगी ।

हमने पाया कि नमूना जांच किये गये किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में हितग्राही समिति/शहर स्तरीय समिति के गठन न होने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिये निर्देश जारी किए जा रहे थे ।

वृद्धि

शासन को आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु शहर स्तरीय समिति/हितग्राही समितियों का गठन करना चाहिए ।

5-1-15 फुल टाइम इन्फोर्मेशन, ओवरलैपिंग, अ

- केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा स्वीकृत परियोजना पूर्ण किये जाने की समय सारणी से आई.एच.एस.डी.पी. का कार्यान्वयन पिछड़ गया था । 56 परियोजनाओं में स्वीकृत 22,998 आवासीय इकाइयों में से मात्र 8,766 आवासीय इकाइयों (38 प्रतिशत) को पूर्ण किया जा सका । इन पूर्ण की गई आवासीय इकाइयों में से, मात्र 3,227 आवासीय इकाइयों (37 प्रतिशत) को हितग्राहियों को आवंटित किया गया था । इन परियोजनाओं के हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान, अपूर्ण अधोसंरचना कार्य की वजह से, सुनिश्चित नहीं किये जा सके ।

वृद्धि परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने हेतु राज्य शासन को परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए । पूर्ण आवासीय इकाई पात्र हितग्राहियों को आवंटित कराने के प्रयास में शासन को आगे आना चाहिए । आवासीय इकाइयों के पूर्ण किये जाने के साथ-साथ आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की अधोसंरचना कार्य को पूर्ण किए जाने के प्रयास किए जाएं ताकि हितग्राहियों को अभीष्ट मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके ।

- परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियां थी, यथा नगरीय स्थानीय निकायों के स्तर पर आई.एच.एस.डी.पी. निधि का व्यपवर्तन, हितग्राहियों के अंशदान का कम संग्रहण एवं आवासीय इकाइयों के निर्माण में निर्धारित गुणवत्ता नियन्त्रण मानकों का पालन नहीं किया गया ।

वृद्धि शासन को आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा गुणवत्ता नियन्त्रण प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

- आवासीय इकाइयों के लिए हितग्राही अंश की गणना करते समय शहरी गरीबों के आर्थिक सामर्थ्य का मुख्यता से ध्यान रखना चाहिए था । तथापि, परियोजनाओं के विलम्ब से निष्पादन होने के कारण, आवासीय इकाइयों की प्रति इकाई लागत में ₹ 36,000 से ₹ 2.49 लाख की वृद्धि हुई । लागत में वृद्धि के कारण, प्रति आवासीय इकाई हितग्राही का अंशदान ₹ 0.65 लाख से ₹ 2.78 लाख तक बढ़ गया, उससे शहरी गरीबों हेतु आवासों की आर्थिक सामर्थ्य पर विपरीत असर हुआ ।
- आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देश में उल्लेखित आवश्यक सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया था ।

VUq kd k% आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी गरीबों की समस्याओं पर ध्यान देने हेतु बनाए गए सुधारों को तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिए ।

- राज्य में आई.एच.एस.डी.पी. के कार्यान्वयन का अपर्याप्त अनुवीक्षण था । हितग्राही समिति एवं शहर स्तरीय समिति के गठन न होने के कारण कार्यक्रम की सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं हुई थी ।

VUq kd k% शासन को आई.एच.एस.डी.पी. की सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए शहर स्तरीय समितियों/हितग्राही समितियों का गठन करना चाहिए ।

uxjh; fodkl , oa i ; kbj .k foHkkx

5-2 uxjh; LFkkuh; fudk; ka ea l ok Lrj ekun.M ij fu"i knu ys[kkijh{k

dk; i kyu l kjk k

सेवा प्रदाय में जवाबदेही लाने हेतु मानदण्ड एक महत्वपूर्ण प्रणाली है । इसके महत्व को समझते हुए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूलभूत नगरीय सेवाओं जैसे जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के संबंध में निष्पादन के अनुवीक्षण के लिए मानकों की रूपरेखा निर्धारित करते हुए एक सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका जारी की गई थी । सेवा स्तर मानदण्डों के सेवा संकेतकों में जल प्रदाय कनेक्शनों का कवरेज, जल की गुणवत्ता, जल प्रदाय की लागत वसूली, शौचालय का कवरेज, मलजल निकासी तंत्र सेवा का कवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिवार स्तर पर कवरेज, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज शामिल थे ।

मानदण्ड के सिद्धांतों का तेरहवें वित्त आयोग द्वारा समर्थन किया गया था, जिसमें नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान के आवंटन के लिए, सेवा स्तर मानदण्ड एक शर्त के रूप में सम्मिलित थे । तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में मूलभूत सेवाओं के प्रदाय मानकों को राज्य राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा जिन्हें नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित किया गया ।

राज्य में कुल 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से 114 नगरीय स्थानीय निकायों (16 नगरपालिक निगम एवं 98 नगरपालिका परिषद्) में सेवा स्तर मानदण्ड, मार्च 2015 तक अधिसूचित किए गए थे । 2011-15 की अवधि के लिए सेवा स्तर मानदण्डों के संदर्भ में नगरीय सेवाओं की निष्पादन प्रबंधन की जांच चार नगरीय स्थानीय निकायों (भोपाल, देवास, जुन्नारदेव एवं करेली) में की गई जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

foRrh; i x/ku

- नमूना जांच की गई चार नगरीय स्थानीय निकायों ने 2010-11 से 2014-15 के मध्य चार मूलभूत सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के प्रदाय, पर ₹ 473.16 करोड़ व्यय किए जिसमें तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 80.44 करोड़ तथा नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य स्रोतों से ₹ 392.72 करोड़ के व्यय सम्मिलित थे ।

%dfMdk 5-2-5½

- नमूना जांच की गई चार नगरीय स्थानीय निकायों में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन एवं लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अन्तर्गत मूलभूत सेवाओं में सुधार हेतु सात परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी एवं चार स्वीकृत परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 682.67 करोड़ व्यय किए गए थे । दो जल प्रदाय परियोजनाएं एवं एक मलजल निकासी परियोजना, संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद प्रारम्भ नहीं की गई थी । चालू परियोजनाओं के अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता, अधिसूचित सेवा स्तर मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी ।

%dfMdk 5-2-5½

vk; kst uk

- नगरीय स्थानीय निकायों को सेवा संकेतक आंकड़े जैसे सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल घरों एवं परिवारों की संख्या, उपभोक्ताओं को प्रदाय परिशोधित जल की मात्रा, परीक्षण हेतु लिए गए जल के नमूनों की संख्या, मलजल निकासी तंत्र से सीधे जुड़ी परिसम्पत्तियों की संख्या, उत्सर्जित, पृथक्कृत एवं निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं जल भराव घटनाओं की संख्या, एकत्रित करना था । तथापि, इन आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक आंकड़ों के स्थान पर, राज्य राजपत्र में लक्ष्य एवं उपलब्धियों के अनुमानित आंकड़े अधिसूचित किए गए थे और कई मामलों में अधिसूचित उपलब्धियों के आंकड़े त्रुटिपूर्ण पाए गए ।

%dfMdk 5-2-6½

fu"iknu izd'ku iz kkyh grq {kerk fuekzk

- सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा की गई पहल अपर्याप्त थी । सेवा स्तर मानदण्ड हेतु अधिसूचित 114 नगरीय स्थानीय निकायों में से 68 नगरीय स्थानीय निकायों के 136 पदाधिकारियों को 2014-15 के दौरान दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया गया था । आगे, 136 नामित पदाधिकारियों में से केवल 70 पदाधिकारी (51 प्रतिशत) ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए । इस प्रकार, समस्त अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों के अमले को सेवा स्तर मानदण्ड हेतु प्रशिक्षित नहीं किया जा सका जिससे कि वे समग्र निष्पादन प्रबंधन तंत्र में अपनी संबंधित भूमिका अदा करने के योग्य हो सके ।

%dfMdk 5-2-7½

I dk Lrj ekun. Mka dk dk; kll; u

- नमूना जांच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों के सेवा क्षेत्रों में जल कनेक्शनों का कवरेज केवल 50 प्रतिशत तक था । भोपाल नगरपालिक निगम 70 वार्डों के 305 सेवा क्षेत्रों में से 77 सेवा क्षेत्रों में जल प्रदाय एक दिन छोड़कर कर रहा था । निर्धारित मानदण्ड 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के विरुद्ध अन्य नमूना जांच की गई तीन नगरीय स्थानीय निकायों में जल प्रदाय 34 से 53 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मध्य था । नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में मीटरिंग व्यवस्था नहीं थी । राज्य राजपत्र में सेवा स्तर मानदण्ड संकेतको के अन्तर्गत उपलब्धियों के त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रतिवेदित किए गए थे ।

%dfMdk 5-2-8] 5-2-12] 5-2-16 , oa 5-2-20½

- नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में शौचालयों का कवरेज मानदण्ड (100 प्रतिशत) के अनुरूप नहीं था । दो नगरीय स्थानीय निकायों (जुन्नारदेव एवं करेली) में मलजल निकासी तंत्र विद्यमान नहीं था जबकि भोपाल में मलजल निकासी तंत्र का कवरेज केवल 38 प्रतिशत तथा देवास में 10 प्रतिशत था ।

%dfMdk 5-2-9] 5-2-13] 5-2-17 , oa 5-2-21½

- नमूना जांच किए गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं वैज्ञानिक पद्धति से निपटान नहीं किया गया था । नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक पद्धति से निपटान के लिए कोई भूमि भरण स्थल विकसित नहीं किया गया था ।

%dfMdk 5-2-10] 5-2-14] 5-2-18 , oa 5-2-22½

● नमूना जांच की गई किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय ने मानदण्ड संकेतक – वर्षा जल निकासी के कवरेज के विरुद्ध सही उपलब्धि प्रतिवेदित नहीं की थी। इन नगरीय स्थानीय निकायों ने वर्षा जल निकासी के कवरेज, के विरुद्ध 83.5 प्रतिशत तक उपलब्धि अधिसूचित की। तथापि, हमने देखा कि नगरीय स्थानीय निकायों, भोपाल एवं देवास के सेवा क्षेत्रों में कोई ढकी हुई नाली नहीं थी तथा जुन्नारदेव एवं करेली नगरीय स्थानीय निकायों में ढकी/खुली नालियों की लम्बाई के सम्बंध में कोई आंकड़े संधारित नहीं थे जो कि इस सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के विरुद्ध उपलब्धि के आंकलन के लिए आवश्यक था।

¶dfMdk 5-2-11] 5-2-15] 5-2-19 , oa 5-2-23½

I ok Lrj ekun. Mka dk vuph{k.k , oa eW; kadu

● राज्य स्तर एवं नगरीय निकाय स्तर दोनों पर सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु अनुवीक्षण प्रणाली की उपलब्धता नहीं पाई गई। विभागीय स्तर पर प्रतिवेदित किये गये निष्पादन संकेतकों की नगरीय स्थानीय निकायों के प्रबंधन स्तर (महापौर/आयुक्त) पर कभी भी समीक्षा नहीं की गई थी।

¶dfMdk 5-2-24½

5-2-1 iLrkouk

सेवा प्रदाय में जवाबदेही लगाने हेतु मानदण्ड एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके महत्व को समझते हुए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मूलभूत सेवाओं के निष्पादन प्रबन्धन के लिए वर्ष 2008 से सेवा स्तर मानदण्ड निर्धारित किए। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूलभूत नगरीय सेवाओं जैसे जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के संबंध में निष्पादन के अनुवीक्षण हेतु मानकों की रूपरेखा निर्धारित करते हुए एक सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका भी जारी की थी। सेवा स्तर मानदण्ड के सेवा संकेतकों में जल प्रदाय कनेक्शनों का कवरेज, जल की गुणवत्ता, जल प्रदाय की लागत वसूली, शौचालय का कवरेज, मलजल निकासी तंत्र सेवा का कवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परिवार स्तर पर कवरेज, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज आदि शामिल थे।

मानदण्ड के सिद्धान्तों का तेरहवें वित्त आयोग द्वारा समर्थन किया गया था जिससे नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान के आवंटन के लिये सेवा स्तर मानदण्ड एक शर्त के रूप में सम्मिलित थे। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) चार सेवा क्षेत्रों, जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के लिए सेवा प्रदाय मानक, उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त किए जाने के लिए अधिसूचित करना चाहिए या सभी नगरपालिक निगम एवं नगरपालिकाओं द्वारा अधिसूचित करवाएगी। अधिसूचना का प्रकाशन राज्य राजपत्र में किया जाएगा जो निर्धारित शर्त का अनुपालन प्रदर्शित करेगा। चौदहवें वित्त आयोग ने भी मूलभूत नगरीय सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड प्रक्रिया के निरंतरता की अनुशंसा की है (दिसम्बर 2014)।

2011-12 से मध्य प्रदेश शासन ने विगत वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में प्रत्येक चालू वर्ष के चार सेवाओं के लिए सेवा प्रदायगी मानकों एवं उपलब्धि को अधिसूचित किया। राज्य में 378 नगरीय स्थानीय निकायों में से 114 नगरीय स्थानीय निकायों (16 नगरपालिक निगम एवं 98 नगरपालिक परिषद) में सेवा स्तर मानदण्ड मार्च 2015 तक अधिसूचित कर दिए गए हैं।

5-2-2 | xBukRed | j̄puk

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, शासन स्तर पर राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं । आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय सेवा स्तर मानदण्ड कार्यक्रम के समग्र अनुवीक्षण तथा उप संचालक, सम्भागीय कार्यालयों के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों से सेवा स्तर मानदण्ड के आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी हैं ।

आयुक्त, नगरपालिका निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं । नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित निष्पादन संकेतको की समीक्षा नगरीय स्थानीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष द्वारा भी की जानी है ।

5-2-3 ys[kki j h{kk ds mnns ;

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- क्या सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु नगरीय स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध थे;
- क्या सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु नगरीय स्थानीय निकायों की आयोजना पर्याप्त थी;
- क्या नगरीय स्थानीय निकाय सेवा स्तर मानदण्ड संकेतको के लक्ष्य को प्राप्त कर सके; एवं
- क्या सेवा स्तर मानदण्ड का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन पर्याप्त एवं प्रभावी था ।

5-2-4 ys[kki j h{kk dk; [ks= , oa dk; fof/k

अवधि 2010-15 के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के सन्दर्भ में समावेशन एवं नगरीय सेवाओं के निष्पादन प्रबंधन दो नगरपालिका निगम (भोपाल एवं देवास) एवं दो नगरपालिका परिषद् (जुन्नारदेव एवं करेली), जिनका चयन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन बिना प्रतिस्थापन विधि से किया गया था, की जांच (मार्च से जुलाई 2015 तक) की गई थी । नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के अभिलेखों की भी जांच की गयी थी । निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये मुख्यतः नमूना जांच इकाईयों द्वारा संधारित अभिलेखों की जांच, प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करना तथा नमूना जांच इकाईयों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण करने की कार्यविधि अपनायी गयी थी ।

प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा हेतु प्रवेश सम्मेलन 16 मार्च 2015 को आयोजित किया गया था । निर्गम सम्मेलन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के साथ 9 सितम्बर 2015 को आयोजित किया गया था । निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा दिए गए उत्तरों को सम्बंधित कड़िकाओं में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है ।

यसूक्कि जहकुक फुदक

5-2-5 फोरर; लडक/कुस धि; किरक

तेरहवें वित्त आयोग ने पाया कि स्थानीय निकायों में संसाधनों की कमी अक्सर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में कमी का कारण होती है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण हेतु ₹ 1,089.04 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए। नगरीय स्थानीय निकायों को 13वें वित्त आयोग अनुदान हस्तांतरित करते समय राज्य शासन ने नगरीय स्थानीय निकायों को निम्न सेवाओं – अग्निशमन सेवा, पेयजल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मलजल निकासी एवं जल निकासी एवं सड़क निर्माण आदि पर प्राथमिकता के आधार पर व्यय करने हेतु निर्देशित किया। भारत सरकार से प्राप्त एवं नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का विस्तृत विवरण रकम 5-6 में दिया गया है।

रकम 5-6% किरक लडक लसिकर, ओएएक्सजे; एफकेए; फुक; कडस त्जह रजिगोए फोरर
वक; क्स वुणकु डक फूज.क

(₹ डकम+ए)

0"क	दलन लडक लसिकर रजिगोए फोरर वक; क्स डक वुणकु				; क्स	एक्सजे; एफकेए; फुक; कडस त्जह वुणकु
	लकेए; एय वुणकु	फु"िकु वुणकु	फु"कुक {कस= एय वुणकु	फु"कुक {कस= फु"िकु वुणकु		
2010-11	137.42	निरंक	3.54	निरंक	140.96	140.96
2011-12	87.10	30.03	3.94	निरंक	121.07	121.07
2012-13	287.02	27.44	3.94	1.97	320.37	320.37
2013-14	228.51	30.03	4.23	1.97	264.74	264.74
2014-15	124.88	107.59	1.68	7.74	241.89	241.89
; क्स	864-93	195-09	17-33	11-68	1 089-03	1 089-03

एकेए% एक्सजे; लडक लसिकर, ओएएडक लडक लसिकर; ज्जक इनर लडक लसिकर

राज्य सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के लिए प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों से हमने देखा कि नगरीय स्थानीय निकायों ने मार्च 2014 तक ₹ 396.18 करोड़ चार मूलभूत सेवाओं – जल प्रदाय (₹ 265.37 करोड़), स्वच्छता (₹ 47.57 करोड़), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (₹ 34.04 करोड़) एवं जल निकासी (₹ 49.20 करोड़) पर व्यय किए थे। इन चार सेवाओं पर 2014-15 के दौरान हुए व्यय का विवरण नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान ₹ 1,089.03 करोड़ में से राज्य सरकार ने ₹ 103.47 करोड़ चार नमूना जांच किए नगरीय स्थानीय निकायों, भोपाल (₹ 91.07 करोड़), देवास (₹ 10.84 करोड़), जुन्नारदेव (₹ 0.80 करोड़) एवं करेली (₹ 0.76 करोड़) को 2010-11 से 2014-15 के दौरान जारी किए। इन नगरीय स्थानीय निकायों ने इस अवधि में चार सेवाओं जैसे जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी, को प्रदाय करने पर ₹ 473.16 करोड़¹⁶ व्यय किए, जिसमें तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के ₹ 80.44 करोड़ तथा नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य संसाधनों से ₹ 392.72 करोड़ के व्यय सम्मिलित थे।

कक एयएकेए
एक्सजे; लडक लसिकर
डसिक; लडक लसिकर
एयएकेए त्जह रजिगोए
फोरर; एयएकेए
एक्सजे; एफकेए;
फुक; कडस त्जह
वुणकु ₹ 473-16
डकम+0; ;
डक, ए

¹⁶ भोपाल ₹ 434.94 करोड़, देवास ₹ 24.47 करोड़, जुन्नारदेव ₹ 5.76 करोड़ तथा करेली ₹ 7.99 करोड़

हमने आगे देखा कि मूलभूत सेवाओं के निष्पादन में सुधार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अन्तर्गत राज्य की 85 नगरीय स्थानीय निकायों (जिनके लिए सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए गए थे) में 107 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी; विवरण rkydk 5-7 में दिया गया है:

rkydk 5-7 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

राज्य के लिए कुल व्यय ₹ 472.07 करोड़

परियोजना का नाम	राज्य के लिए कुल व्यय (₹ करोड़)	राज्य के लिए कुल व्यय (₹ करोड़)	31-03-2015 तक व्यय (₹ करोड़)
जल प्रदाय	91	3,005.56	1,569.35
मलजल निकासी एवं स्वच्छता	7	743.12	489.78
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5	89.29	42.74
वर्षाजल निकासी	4	367.15	370.20
कुल	107	4,205.12	2,472.07

इस प्रकार, 107 परियोजनाओं में से सात परियोजनाएं नमूना जांच की गईं चार नगरीय स्थानीय निकायों में स्वीकृत की गईं थीं। नमूना जांच की गईं तीन नगरीय स्थानीय निकायों (भोपाल, देवास एवं जुन्नारदेव) ने चार परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 682.67 करोड़ (स्वीकृत लागत ₹ 848.94 करोड़) व्यय किए थे। तथापि, दो नगरीय स्थानीय निकायों, करेली एवं देवास, में अन्य तीन परियोजनाओं की कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी।

करेली नगरपालिका परिषद् में ₹ 35.51 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई (अगस्त 2013) जल प्रदाय परियोजना, करेली नगरपालिका परिषद् को ₹ 7.99 करोड़ जारी किए (सितम्बर 2013) जाने के बावजूद भी टेन्डर प्रक्रिया में थी। देवास नगरपालिका निगम में लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अंतर्गत ₹ 39.75 करोड़ की लागत पर स्वीकृत की गई (जून 2011) एक जल प्रदाय परियोजना तथा ₹ 140.63 करोड़ की लागत पर स्वीकृत की गई (फरवरी 2014), एक मलजल निकासी परियोजना मार्च 2015 तक अप्रारम्भ थी, यद्यपि देवास नगरपालिका निगम को इन परियोजनाओं के लिए निधियां क्रमशः ₹ 8.94 करोड़ एवं ₹ 61.18 करोड़ जारी की जा चुकी थीं।

इस प्रकार नमूना जांच की गईं नगरीय स्थानीय निकायों ने 2010-11 एवं 2014-15 के मध्य ₹ 473.16 करोड़ चार मूलभूत सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के प्रदाय पर व्यय किए। इसके अतिरिक्त, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन तथा लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चार परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक ₹ 682.67 करोड़ व्यय हुआ था। तथापि, हमने देखा कि इन नगरीय स्थानीय निकायों में मूल सेवा की गुणवत्ता अधिसूचित सेवा स्तर मानदण्ड के अनुरूप नहीं थी, जिसकी चर्चा आगे की कड़िकाओं में की गयी है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भारत सरकार के मानकों अनुसार सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्य प्राप्त किए जायेंगे।

5-2-6 नगरपालिका निगमों के लिए निष्पादन

5-2-6 नगरपालिका निगमों के लिए निष्पादन

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को नियमित रूप से मैदानी स्तर के तंत्र से अथवा निश्चित अन्तराल पर विशिष्ट सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर आवधिक रूप से सेवा स्तर मानदण्ड पर निष्पादन

प्रतिवेदन सृजित करना था। इसके साथ-साथ, नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन प्रबन्धन, जैसे मैदानी स्तर के अमले से आंकड़े एकत्रित करने के लिये सरल डाटा प्रारूप प्रणाली तैयार किया जाना चाहिए थी एवं उन प्रारूपों को आंकड़े एकत्रित करने एवं उच्च स्तर पर रिपोर्ट हेतु मैदानी अमले को उपलब्ध कराने थे, के लिए प्रणाली संस्थापित करने की आवश्यकता थी। मैदानी स्तर से एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों में सेवा क्षेत्र में कुल परिवारों एवं कुल रहवासियों की संख्या, उपभोक्ताओं को परिशोधित जल प्रदाय की मात्रा, परीक्षण हेतु लिए गए जल नमूनों की संख्या, मलजल निकासी तंत्र से सीधे जुड़ी परिसम्पत्तियों की संख्या, उत्सर्जित, पृथक्कृत एवं निस्तारित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं वर्षा जल भराव घटनाओं की संख्या आदि सम्मिलित थे।

मैदानी स्तर से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करने एवं निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विशिष्ट व्यक्तियों को अभिहित/मनोनीत किया जाना था। विभाग स्तर पर प्रतिवेदित निष्पादन संकेतकों की प्रबंधन स्तर (महापौर/आयुक्त नगर निगम) पर मासिक आधार पर जांच की जानी थी तथा निष्पादन उपलब्धि के परिपेक्ष्य में निर्णय एवं आयोजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी थी एवं लिए गए निर्णयों का पालन करना था।

हमने देखा कि आंकड़ों को एकत्रित करने एवं निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया गया था। सेवा स्तर मानदण्ड पर निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु आंकड़े मैदानी स्तर से अथवा सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों के लक्ष्य एवं उपलब्धि राजपत्र में अनुमान पर अधिसूचित किए गए थे एवं अधिसूचित उपलब्धियां बहुत से मामलों में त्रुटिपूर्ण पायी गई थी, जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

हमने देखा कि 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान निर्धारित मासिक/त्रैमासिक निष्पादन प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे। विभिन्न सेवा संकेतकों के अन्तर्गत निष्पादन की समीक्षा महापौर/आयुक्त नगरनिगम द्वारा कभी नहीं की गई थी। इस प्रकार, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों के आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए संस्थागत प्रणाली का अभाव था, जो कि प्रबंधन के लिए मूलभूत सेवाओं के प्रदाय में सुधार हेतु सुधारात्मक कार्रवाई योजना बनाने के लिए आवश्यक था।

निर्गम सम्मेलन में, राज्य शासन ने उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों को सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के प्रावधानों का पालन करने हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे।

वृद्धि

नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन प्रबन्धन हेतु मैदानी स्तर से वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली संस्थापित करना चाहिए। रहवासियों के मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने एवं सेवा स्तर मानदण्ड लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।

5-2-7 फु"i knu i xll/ku i) fr grq {kerk fuekl k

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 3.1 के अनुसार, समस्त स्तर के अमले का सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कराने की आवश्यकता होगी जिससे कि वे निष्पादन प्रबन्धन पद्धति में अपनी भूमिका निभाने के योग्य हो सकें। विभागाध्यक्ष स्तर से अधिकारियों को अधीनस्थ अमले के उन्मुखीकरण हेतु नेतृत्व करना चाहिए।

हमने देखा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों के लिए सेवा स्तर मानदण्ड पर वर्ष 2013-14 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

eñkuh Lrj l s
l ok Lrj
ekun.M
vkaclMka ds
, d=hdj .k ds
fy, dklz
iz.kkyh
l l.Fkfi r ugha
dh x; h Fkh A

I ०k Lrj ekun.M
ds dk; k\o; u ds
fy, jkT; I jdkj
}kjk {kerko/k\o
grqfd, x,
iz kl vi; k\o
Fks A

2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने सेवा स्तर मानदण्ड पर नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। तथापि, सेवा स्तर मानदण्ड हेतु अधिसूचित 114 नगरीय स्थानीय निकायों में से 68 नगरीय स्थानीय निकायों के 136 अधिकारियों को 2014-15 के दौरान इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया था। आगे, प्रशिक्षण हेतु नामित 136 पदाधिकारियों में से केवल 70 पदाधिकारी (51 प्रतिशत) प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमने यह भी देखा कि चार नमूना जांच की गईं नगरीय स्थानीय निकायों में से कोई भी अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ यद्यपि दो नगरीय स्थानीय निकाय (भोपाल एवं देवास) के चार अधिकारी प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए थे।

इसे इंगित किये जाने पर, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने बताया (जुलाई 2015) कि 2010-11 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों के लिए सेवा स्तर मानदण्ड पर प्रशिक्षण आयोजित किया था इसलिए उत्तरवर्ती वर्षों में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी। आगे यह भी सूचित किया गया कि केवल उन नगरीय स्थानीय निकाय जो राज्य के राजपत्र में अधिसूचित थे, के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों के 60 प्रतिशत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था। आगे, नामित पदाधिकारी भी प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्षमता निर्माण हेतु किए गए प्रयास अपर्याप्त थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015), में शासन ने बताया कि अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

vuq kd k

समस्त स्तर पर राज्य सरकार को क्षमता निर्माण हेतु सेवा स्तर मानदण्ड पर पर्याप्त प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि अमले को सक्षम बनाकर समग्र निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में वह अपनी संबंधित भूमिका निभा सके।

I ०k Lrj ekun.M dk dk; k\o; u

Hkks i ky uxj i kfyd fuxe

भोपाल नगरपालिक निगम, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के द्वारा शासित होता है। भोपाल नगरपालिक निगम के अंतर्गत 70 वार्ड हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 18.40 लाख है। भोपाल नगरपालिक निगम एक सांविधिक संस्था है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना सुविधाएं तथा नगरीय सेवाएं प्रदान करती है। राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार मूलभूत नगरपालिक सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे। सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में भोपाल नगरपालिक निगम की उपलब्धियों की आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

5-2-8 ty vki frz I ०k, a

जल आपूर्ति सेवाओं के सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में भोपाल नगरपालिक निगम की उपलब्धियां, जो राज्य के राजपत्र में 2011-12 से 2014-15 के दौरान अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थीं :

रक्यादक&5-8%त्यकि िरल l षकुका ds fy, Hkks ky uxj i kfyd fuxe es 2011&12 l s
2014&15 ds nkj ku l षक Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkok l dard	l षक Lrj ekun.M i (Lrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkj ku vf/kl िpr l षक Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf{/k
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	60-100	56-80
2	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	150	150
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	7-100	2-40
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	15-35	20-35
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	1-24 घंटे	1-8 घंटे
6	जल आपूर्ति की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	90-100	95-100
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	90-100	90-98
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	50-90	40-50
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	72-90	75-83

(Lkkr %jkt; 'kkl u }kjk tkjh jkti = vf/kl िpr)

5-2-8-1 ty vki िरल duD'kuka dk dojst

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 2.1.1 के अनुसार जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज, सेवा क्षेत्रों में कुल परिवारों की संख्या के प्रतिशत से मापा जाता है जो जल आपूर्ति तंत्र के साथ प्रत्यक्ष सेवा नल कनेक्शन के माध्यम से जुड़े हैं। भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत मानदंड निर्धारित किया गया था।

हमने देखा कि 2014-15 में सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के विरुद्ध भोपाल नगरपालिक निगम ने 80 प्रतिशत उपलब्धि अधिसूचित की। तथापि, अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि भोपाल नगरपालिक निगम के सेवा क्षेत्र में कुल 3,90,445 परिवारों में से 1,80,000 परिवार ही जल आपूर्ति कनेक्शनों से सीधे तौर पर जुड़े थे। इस प्रकार भोपाल में जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज केवल 46 प्रतिशत था जबकि राजपत्र में यह उपलब्धि बढ़ाकर 80 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने बताया (जुलाई 2015) कि नगर में बहुत सारे कनेक्शन बल्क कनेक्शन हैं जिनसे एक से अधिक परिवारों को जल आपूर्ति की जाती है। इसलिए एक परिवार के कनेक्शन को एक कनेक्शन माना जाना उचित नहीं था।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि जल आपूर्ति कनेक्शनों के कवरेज हेतु गणना में केवल उन्हीं परिवारों के प्रतिशत को लिया जाना चाहिए था जो जल आपूर्ति तंत्र से सीधे जुड़े हों।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि जल आपूर्ति के कार्य प्रगति पर थे तथा नगरीय स्थानीय निकायों को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे।

5-2-8-2 ifr0; fDr ty vki िरल

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 2.1.1 के अनुसार प्रतिव्यक्ति आपूर्ति की मात्रा से आशय उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए कुल जल की मात्रा जो कि जनसंख्या को

प्रतिदिन दी गई मात्रा, से व्यक्त होता है । इस संकेतक के लिये मानदंड 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन था ।

सेवा स्तर मानदण्ड के उक्त संकेतक के विरुद्ध वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान भोपाल नगरपालिक निगम ने 150 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धि अधिसूचित की जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड से अधिक थी । तथापि, हमने देखा कि प्रत्येक सेवा क्षेत्र में जल आपूर्ति की अवधि एक समान नहीं थी । भोपाल नगरपालिक निगम के कुल 305 सेवा क्षेत्रों (70 वार्डों में) में से 77 सेवा क्षेत्रों में जल आपूर्ति एक दिवस छोड़कर की गई थी, यद्यपि कुछ सेवा क्षेत्रों में जलपूर्ति नौ घंटे तक थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जायेंगे ।

5-2-8-3 *ty duD'kuka dh ehVfjæ dh l hek*

Hkksi ky
uxjilkyd
fuxe us ty
vki frl duD'kuka
ea ehVj LFkfi r
ugha fd; s A

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका अनुसार उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए जल की मात्रा मीटर्स के माध्यम से मापी जाना चाहिए । तथापि, हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम ने जल कनेक्शनों के लिए मीटर संस्थापित नहीं किए । इसके बावजूद राज्य शासन ने 2014-15 के दौरान उक्त संकेतक के अंतर्गत 40 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की । इस प्रकार, इस संकेतक के संबंध में राजपत्र में दी गई उपलब्धि सही नहीं थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि मीटरिंग प्रणाली अपनाने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किए जायेंगे ।

5-2-8-4 *xj jktLo ty dh l hek*

यह संकेतक उस जल की मात्रा को अभिव्यक्त करता है जिसकी आपूर्ति से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है । इसकी गणना, कुल उत्पादित जल की मात्रा एवं वितरण प्रणाली को आपूर्ति (मीटरिंग द्वारा मापी गई) की गई तथा उपभोक्ताओं, जिनको देयक भेजे गए, को आपूर्ति किए गए वास्तविक जल की मात्रा, के मध्य अंतर पर मापा जाना था ।

हमने देखा कि शासन ने 2014-15 के दौरान भोपाल नगरपालिक निगम हेतु गैर राजस्व जल की सीमा संकेतक के अंतर्गत 15 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 20 प्रतिशत उपलब्धि अधिसूचित की । तथापि, राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि सही नहीं थी क्योंकि गैर राजस्व जल की मात्रा का, वितरण केन्द्र तथा उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग तंत्र के अभाव में, आंकलन नहीं किया जा सकता था ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जायेंगे ।

5-2-8-5 **vki frl fd, x, ty dh xj koRrk^ l dk l ddrd*

ty dh
xj koRrk
l fuf'pr djus
grqLora=
vkof/kd
yskkih{kk ugha
dh xbl Fkh A

सेवा स्तर मानदंड की पुस्तिका की कंडिका 2.1.6 के अनुसार आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतक है । आपूर्ति किए जाने वाले जल की गुणवत्ता का निर्धारण उपचार संयंत्र एवं उपभोक्ता स्तर पर लिए गए वास्तविक नमूनों, जिनका मेल केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण यांत्रिकी संगठन द्वारा निहित मापदंड से होना चाहिए, के आधार पर किया जाना था । पानी की गुणवत्ता की आवधिक स्वतंत्र लेखापरीक्षा भी की जानी चाहिए थी ।

हमने देखा कि वर्ष 2014-15 के दौरान आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता के अंतर्गत 100 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी । तथापि, हमने यह भी देखा कि जल की गुणवत्ता की जांच हेतु उपभोक्ता स्तर पर नमूने नहीं लिए गए और न ही

उक्त नमूनों की जांच के संबंध में स्वतंत्र आवधिक लेखापरीक्षा की गई थी। इस प्रकार, भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता के संबंध में राजपत्र में अधिसूचित आंकड़े वास्तविक नहीं थे।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जायेंगे।

5-2-8-6 मिहकडरक फ'कड; र फुकज.क एनक्रक

इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन की गणना, कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या के विरुद्ध संतोषजनक आधार पर 24 घंटे में निराकृत की गई मूल शिकायतों की संख्या के प्रतिशत के आधार पर होगी। इस संकेतक के लिए मानदण्ड 80 प्रतिशत निर्धारित था।

शासन ने राजपत्र में 80 प्रतिशत मानदण्ड के विरुद्ध 100 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की। हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा शिकायतों की प्राप्ति के लिए अभिलेख संधारित किया जा रहा था तथापि शिकायतों के निवारणों की स्थिति को अभिलेखों में नहीं दर्शाया गया था। इसलिए, जिसके आधार पर 100 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी, लेखापरीक्षा में अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण एवं अभिलेखों के संधारण हेतु शीघ्र ही निर्देश जारी किए जायेंगे।

5-2-8-7 टि वकिररल डकवक एन यकर ओ यि

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.1.8 के अनुसार सभी आधारभूत नगरीय सेवाओं के लिए वित्तीय निरंतरता कठिन है। इसलिए समस्त संचालन लागत, उपभोक्ता प्रभार, फीस तथा कर आदि के संमिश्रण से वसूल की जानी चाहिए। इस संकेतक के लिये निर्धारित मानदण्ड 100 प्रतिशत था।

भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा जल आपूर्ति सेवा में संचालन पर व्यय एवं लागत वसूली का विवरण, रकफडक डेकड 5-9 के अनुसार थे:

रकफडक&5-9% टि वकिररल डक डस फि, ल डक्यु 0; ; , ओ यकर ओ यि डक फुज.क

(₹ डकड+ए)

ओक	ल डक्यु 0; ;	यकर ओ यि	यकर ओ यि डक इफ'कर
2011-12	56.79	29.08	51
2012-13	65.47	29.50	45
2013-14	81.40	29.47	36
2014-15	78.81	29.44	37

(लकर % हककि क्य उखि कफड फुखे डकक इनरर तुडकज)

रकफडक 5-9 से यह स्पष्ट होता है कि भोपाल नगरपालिक निगम की वास्तविक लागत वसूली 36 से 51 प्रतिशत के मध्य थी। हमने आगे देखा कि इस सेवा स्तर मानदंड संकेतक के लिए 2014-15 के दौरान 70 प्रतिशत का लक्ष्य अधिसूचित किया गया था जो भारत सरकार के निर्धारित मानदण्ड से बहुत कम था।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को कार्रवाई हेतु लेख किया गया था।

5-2-9 *eyty fudkl , oa LoPNrk*

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं के लिये सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में भोपाल नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-10% 2011&12 l s 2014&15 ds nkj ku Hkks ky uxj kfyd fuxe ds eyty fudkl , oa LoPNrk ds l ok Lrj ekun.M

(vkdm\$ i fr'kr e)

I - Ø	Lkok l dnd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"z 2011&15 ds nkj ku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	81.90	80.84
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	12.50	10.40
3	मलजल तंत्र के संग्रहण की दक्षता	100	12.50	11.40
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	24.58	24.28
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	65.80	65.70
6	मलजल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	3.10	3.8
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	100	100
8	मलजल प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली	100	7.15	7.10
9	मलजल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	82.85	82.83

(Lkkr% jkt; l jdkj jkj tkjh jkti = vf/kl pul)

5-2-9-1 *eyty r# dk dojst*

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.2.2 के अनुसार यह संकेतक सेवा क्षेत्र में व्यक्तिगत संपत्ति तक भूमिगत मलजल तंत्र की उपलब्धता का द्योतक है । इस संकेतक के लिये निर्धारित मानदण्ड 100 प्रतिशत था ।

हमने देखा कि भोपाल में मलजल तंत्र का कवरेज अधिसूचित लक्ष्य 40 प्रतिशत के विरुद्ध 38 प्रतिशत था । इस प्रकार, मलजल तंत्र का कवरेज एवं अधिसूचित लक्ष्य भारत सरकार के निर्धारित मानदण्ड (100 प्रतिशत) से कम था ।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने बताया (जुलाई 2015) कि सेवा क्षेत्र में मलजल तंत्र की 100 प्रतिशत कवरेज हेतु प्रस्ताव मास्टर प्लान में शामिल किया गया था और इसे केन्द्र प्रवर्तित योजना में शामिल किए जाने के पश्चात ही क्रियान्वित किया जाएगा ।

5-2-9-2 *eyty r# ds l xg.k dh n{krk*

इस संकेतक की गणना नगरीय स्थानीय निकायों में कुल उत्सर्जित मलजल के प्रतिशत के रूप में अनुपयोगी जल की संग्रहण की मात्रा के रूप में की जाती है । इस संकेतक के लिए 2014-15 के दौरान 40 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी । तथापि, भोपाल में स्थापित सात मलजल उपचार संयंत्रों की क्षमता के आधार पर कुल उत्सर्जित मलजल के संग्रहण की दक्षता 28 प्रतिशत संगणित की गई थी । इस प्रकार, मलजल संग्रहण की दक्षता की अधिसूचित 40 प्रतिशत उपलब्धि सही नहीं थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि लक्ष्यों को वास्तविकता के आधार पर पुनरीक्षित करने हेतु कदम उठाए जाएंगे ।

5-2-9-3 यलर ओयल हेक

सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका की कंडिका 2.2.8 के अनुसार उपभोक्ता प्रभार, फीस तथा करों आदि के माध्यम से समस्त संचालन लागत वसूल की जाना चाहिए । हमने देखा कि 2014-15 के दौरान भोपाल में मलजल प्रबंधन पर संचालन व्यय ₹ 2.89 करोड़ था । तथापि, मलजल प्रबंधन लागत वसूली के लिए कोई प्रभार अधिरोपित नहीं किए गए थे । इसके बावजूद, राजपत्र में इस संकेतक के अंतर्गत भोपाल नगरपालिक निगम की उपलब्धि 10 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (जुलाई 2015) कि राजपत्र में उपलब्धि त्रुटिवश अधिसूचित की गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि कार्रवाई की जाएगी ।

5-2-10 Bkl vif'k"V icdku

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में भोपाल नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी :

Rkfydk&5-11% 2011&12 l s 2014&15 ds nkj ku Hkks ky uxj i kfyd fuxe ea Bkl vif'k"V icdku ds l ok Lrj ekun.M

(vkadMs i fr'kr ea)

I - Ø-	Lkok l dard	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkj ku vf/kl i pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfC/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	40-75	30-70
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	80-95	80-91
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	15-30	15-24
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वसूल की सीमा	80	15-25	10-19
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	15-25	5-15
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	99	95-99
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लागत वसूली सीमा	100	निरंक	42-52
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों की वसूली में दक्षता	90	निरंक	40-63

(Lkks %jkt; ljdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl ipuk)

5-2-10-1 uxjh; Bkl vif'k"V dh i FkDdj.k l hek

इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन को, कुल संग्रहित अपशिष्ट की मात्रा में से पृथक्करण किए गए अपशिष्ट की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मापा जाना था । इसके लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत का मानदण्ड निर्धारित किया गया था ।

हमने देखा कि अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया गया था । भोपाल नगरपालिक निगम ने सूचित किया कि बिना पृथक्कित किए अपशिष्ट को कूड़ा स्थल पर फेंका जा रहा था । इसके बावजूद उक्त संकेतक के अंतर्गत 15 से 24 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी, जो सही नहीं थी ।

5-2-10-2 uxjh; Bkl vif'k"V ds oKkfud fof/k l s fui Vku ea n{krk

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.3.5 के अनुसार निष्क्रिय अपशिष्ट का अंतिम रूप से निपटान भूमि भरण स्थल पर किया जाना चाहिए । यह पर्यावरणीय

निरंतरता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निष्पादन मापदण्ड है । इस संकेतक के लिए 100 प्रतिशत मानदण्ड निर्धारित था ।

Hkksi ky uxji kfyd
fuxe }kjk uxjh;
Bkl vif'k"V ds
oKkfud fof/k l s
fui Vku grq Hkife
Hkj .k LFky dk
fodkl ugh fd; k
Fkk A

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम को 12वें वित्त आयोग से सहायता अनुदान के रूप में ₹ 6.83 करोड़ प्राप्त हुए (2007-10) थे जिसका 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय किया जाना था । तथापि, भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान हेतु भूमि भरण स्थल विकसित नहीं किया जा सका था । इसके बावजूद "नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान में दक्षता" संकेतक के अंतर्गत 5 से 15 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि राज्य ने ठोस अपशिष्ट के प्रभावी तथा वैज्ञानिक विधि से निपटान को ध्यान में रखते हुए राज्य के 378 नगरीय स्थानीय निकायों को 26 कलस्टर्स में परिवर्तित कर दिया गया था । सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को दो वर्षों के भीतर सुव्यवस्थित करना लक्ष्य था ।

तथ्य यह है कि भोपाल नगरपालिक निगम 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति के बाद भी नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु भूमि भरण स्थल विकसित नहीं कर सका ।

5-2-10-3 मि HkkDrk f'kdk; rka ds fuokj .k ea n{krk

इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन की गणना, कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या के विरुद्ध संतोषजनक आधार पर 24 घंटे में निराकृत की गई शिकायतों की संख्या के प्रतिशत के आधार पर होगी । इस संकेतक के लिए मानदण्ड 80 प्रतिशत था ।

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम में शिकायतों के दर्ज किए जाने का अभिलेख संधारित किया गया था । तथापि, शिकायतों के निराकरण की स्थिति दर्ज नहीं की गई थी । इसलिए, शिकायतों के निराकरण के संबंध में अधिसूचित प्रतिशत का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि इसे आगामी कार्रवाई के लिए टीप कर लिया गया था ।

5-2-11 o"kkz ty fudkl h

वर्षा जल निकासी सेवाओं के लिए के सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में भोपाल नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkydk&5-12% 2011&12 l s 2014&15 ds nkj ku Hkksi ky uxji kfyd fuxe ds o"kkz ty fudkl h ds l ok Lrj ekun.M

I - Ø	Lkok l dard	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kkz 2011&15 ds nkj ku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfC/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	55-80	52-75
2	जल भराव/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक

(Lkkr %jkt; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk)

5-2-11-1 o"kkz ty fudkl h dk dojst

यह संकेतक वर्षा जल निकासी तंत्र द्वारा कवर की गई सड़कों की लंबाई के प्रतिशत के संबंध में परिभाषित है । सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार, वर्षा जल निकासी तंत्र के कवरेज की गणना, सेवा क्षेत्र में 3.5 मीटर से अधिक चौड़ी परिवहन

मार्ग सड़कों की कुल लंबाई तथा कुल निकासी नालियों, जो पक्की एवं ढकी हुई हो, की लंबाई के आधार पर की जानी थी। भारत सरकार द्वारा इसका मानदण्ड 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम के सेवा क्षेत्र में सड़क तंत्र की कुल लम्बाई 3,200 किलोमीटर (3.5 मीटर से अधिक चौड़ी) थी। जल निकासी नालियों की लंबाई 2,400 किलोमीटर थी जो ढकी हुई नहीं थी। सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के निर्धारित मापदण्ड अनुसार नालियां ढकी हुई न होने के कारण वर्षा जल निकासी तंत्र के कवरेज के लिए संकेतक की गणना नहीं की गई थी। इसके बावजूद 2014-15 के दौरान 75 प्रतिशत उपलब्धि अधिसूचित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने उत्तर में बताया कि इस सेवा स्तर मानदंड संकेतक के अंतर्गत अधिसूचित लक्ष्य एवं उपलब्धि बिना ढकी हुई नालियों के आधार पर थे।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि आगामी कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को टीप कर लिया गया था।

5-2-11-2 ty Hkiko@ck<+ dh ?kVuk, a

यह संकेतक इंगित करता है कि एक वर्ष में जल भराव तथा बाढ़ की कितनी संख्या प्रतिवेदित की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस हेतु शून्य मानदण्ड निर्धारित किया गया था।

हमने देखा कि भोपाल नगरपालिक निगम द्वारा चार लो लाइंग फ्लड एरिया चिन्हित किए गए थे, जहां 2014-15 के दौरान चार से पांच जलभराव की घटनाएं हुई थी। इसके बावजूद "जल भराव/बाढ़ की घटनाएं" सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के अंतर्गत कोई लक्ष्य अधिसूचित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर भोपाल नगरपालिक निगम ने उत्तर दिया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन परियोजना के पूर्ण होने के बाद जल भराव की घटनाओं में कमी आई थी। तथापि, जल भराव की घटनाओं से बचने के लिए अन्य परियोजना तैयार करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

तथ्य यह है कि लो लाइंग फ्लड एरिया को चिन्हित करने के बावजूद भोपाल नगरपालिक निगम ने "जल भराव/बाढ़ की घटनाएं" के लिए कोई लक्ष्य अधिसूचित नहीं किए।

vuq kd k

भोपाल नगरपालिक निगम को चार अधिसूचित सेवाओं, जल आपूर्ति, मलजल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके।

noxl uxj ifyd fuxe

देवास नगरपालिक निगम, मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 के द्वारा शासित होता है। देवास नगरपालिक निगम के अंतर्गत 45 वार्ड हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 2.90 लाख है। देवास नगरपालिक निगम एक सांविधिक संस्था है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना सुविधाएं तथा नगरीय सेवाएं प्रदान करती है। राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार नगरपालिक मूलभूत सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे। सेवा स्तर

मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

5-2-12 ty vki frl l ok, a

जल आपूर्ति सेवाओं के सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-13: ty vki frl l okvka ds fy, nokl uxjikfyd fuxe ea 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku l ok Lrj ekun.M

I - Ø	Lkok l adrd	I ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"K 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	60-75	42-74
2	प्रतिव्यक्ति जलआपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	80-100	50-90
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	10	निरंक
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	30-45	3-45
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	30-60 मिनिट	30-75 मिनिट
6	जल आपूर्ति की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	80-95	50-90
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	100	100
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	60-75	50-60
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	70-80	50-75

(Llkr % jkT; 'kkl u }kjk tkjh jkti = vf/kl ipuk)

5-2-12-1 ty vki frl duD'kuka dk dojst

कंडिका 5.2.8.1 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार हमने देखा कि इस सेवा स्तर मानदंड संकेतक के विरुद्ध 2014-15 के दौरान देवास नगरपालिक निगम की उपलब्धि 74 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी । तथापि, अभिलेखों की समीक्षा में पाया कि देवास नगरपालिका निगम के सेवा क्षेत्र में जल आपूर्ति कनेक्शन का कवरेज केवल 47 प्रतिशत था, देवास नगरपालिक निगम सेवा क्षेत्र में कुल 65,276 परिवारों में से 30,665 परिवार ही जलापूर्ति कनेक्शनों से सीधे तौर पर जुड़े थे । इस प्रकार राजपत्र अधिसूचना में बड़ी हुई उपलब्धि प्रतिवेदित की गई थी ।

हमने आगे देखा कि जल आपूर्ति के लिये वितरण नलिकाएं केवल 60 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में थी तथा राज्य सरकार ने अन्य 10 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में वितरण नलिकाएं बिछाने हेतु प्रस्ताव (स्वीकृत लागत ₹ 40 करोड़) अनुमोदित किया था (सितम्बर 2014) । शेष 30 प्रतिशत सेवा क्षेत्र हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था । इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड (100 प्रतिशत) प्राप्त करने हेतु योजना की कमी थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में अधिसूचना हेतु गलत जानकारी दी गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर दिया कि जल आपूर्ति के अंतर्गत कार्य प्रगति पर हैं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे ।

nokl uxjikfyd fuxe ea ty vki frl duD'kuka dk dojst doy 47 ifr'kr Fkh A

तथ्य यह है कि देवास नगरपालिक निगम की बची हुई 30 प्रतिशत सेवा के अन्तर्गत वितरण नलिकाएं बिछाने के लिए कोई योजना नहीं थी ।

5-2-12-2 ifr0; fDr ty vki#r7

कांडिका 5.2.8.2 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम द्वारा इस सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के विरुद्ध 2013-14 के दौरान 90 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एवं 2014-15 के दौरान 50 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी । अभिलेखों की समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि इन वर्षों में 2.90 लाख की जनसंख्या के लिये परिशोधित जल की आपूर्ति 34 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी । इस प्रकार, राजपत्र अधिसूचना में बढ़ी हुई उपलब्धि प्रतिवेदित की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में अधिसूचना हेतु गलत जानकारी दी गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जायेंगे ।

5-2-12-3 ty vki#r7 dh fu#rjrk

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कांडिका 2.1.5 के अनुसार नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जल आपूर्ति 24 घंटे वांछनीय है । इस संकेतक के लिए मानदण्ड 24 घंटे निर्धारित किया गया था । 'जल आपूर्ति की निरंतरता' को दबाव सहित की गई जलापूर्ति प्रतिदिन के औसत घंटों के आधार पर मापा जाना था ।

हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम के सेवा क्षेत्र में जल आपूर्ति 45 मिनट एक दिवस छोड़कर थी । इसके बावजूद, देवास नगरपालिक निगम द्वारा इस संकेतक के अंतर्गत उपलब्धि 75 मिनट प्रतिदिन अधिसूचित की गई थी, जो गलत थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में अधिसूचना हेतु गलत जानकारी दी गई थी । निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी ।

5-2-12-4 vki#r7 fd, x, ty dh xqkorrk

कांडिका 5.2.8.5 में चर्चा किए गए प्रावधानानुसार, हमने देखा कि परिशोधित जल की गुणवत्ता की जांच देवास नगरपालिक निगम में स्थापित प्रयोगशाला में की जा रही थी । तथापि, सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार जांच हेतु उपभोक्ता स्तर पर जल के नमूने कभी भी नहीं लिए गए थे । हमने आगे देखा कि जल की गुणवत्ता हेतु स्वतंत्र आवधिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गई थी । इस प्रकार, 2014-15 के दौरान राजपत्र में दर्शायी गई 50 प्रतिशत की उपलब्धि निराधार थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र अधिसूचना हेतु गलत आंकड़े दिए गए थे । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया गया कि प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे ।

5-2-12-5 mi#kkDrk f'kdk; r fuokj.k en#krk

कांडिका 5.2.8.6 में चर्चा किए गए प्रावधानानुसार, हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम में शिकायतों को दर्ज करने के लिए अभिलेख संधारित किए गए थे परन्तु शिकायतों के निवारण की स्थिति अभिलेखों में दर्ज नहीं थी । अतः शिकायतों का निवारण, सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका में निहित समयावधि में किया गया, का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

आयुक्त, देवास नगरपालिक निगम ने लेखापरीक्षा की उपर्युक्त अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं बताया (अप्रैल 2015) कि शिकायत निवारण से संबंधित अभिलेख संधारित किए जाएंगे ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण दक्षता से करने एवं अभिलेखों के संधारण हेतु शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे ।

5-2-13 *eyty fudkl , oa LoPNrk*

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं से संबंधित देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-14% 2011&12 l s 2014&15 ds nk\$ku nokl uxjifkyd fuxe ea eyty fudkl , oa LoPNrk ds l ok Lrj ekun.M

(vkadM\$ ifr'kr ea)

I - Ø-	Lkok l dard	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj l ok Lrj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nk\$ku vf/kl ifpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfL/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	68-85	68-80
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	8-25	5-10
3	मलजल तंत्र के संग्रहण की दक्षता	100	5-25	5-10
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	निरंक	निरंक
6	मलजल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	निरंक	निरंक
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	100	100
8	मलजल प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली सीमा	100	10-20	10
9	मलजल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	26-40	26-30

(Lkr%jkt; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl ipuk)

हमने देखा कि देवास नगरपालिक निगम ने 'शौचालयों के कवरेज' से संबंधित डाटाबेस संधारित नहीं किया । इसके बावजूद, देवास नगरपालिक निगम ने इस संकेतक के अंतर्गत 80 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाई । देवास नगरपालिक निगम ने सूचित किया (अप्रैल 2015) कि राजपत्र में प्रकाशित उपलब्धि निगम में उपलब्ध जानकारी के आधार पर थी । तथापि, ऐसा कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया था । इस प्रकार जिस आधार पर राजपत्र में उपलब्धि अधिसूचित की गई थी, उसका सत्यापन नहीं किया जा सका ।

इसके अतिरिक्त देवास नगरपालिक निगम ने सेवा संकेतक - मलजल उपचार क्षमता की पर्याप्तता, मलजल उपचार की गुणवत्ता तथा मलजल की पुनर्उपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा, के लिए कोई लक्ष्य अधिसूचित नहीं किए थे । मलजल निकास तंत्र का कवरेज संकेतक के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि भी सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका में निर्धारित आवश्यक मानकों की तुलना में बहुत कम थे ।

इसे इंगित किये जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने सूचित किया (मई 2015) कि लघु एवं मध्यम कस्बों हेतु शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना के अंतर्गत

₹ 140.63 करोड़ की लागत से एक मलजल निकास परियोजना स्वीकृत की गई है, (फरवरी 2014) जो निविदा स्तर पर थी ।

5-2-14 Bkd vif'k"V ixd'ku

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के संदर्भ में देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

Rkfydk&5-15% 2011&12 l s 2014&15 ds nkj'ku n'okl uxjikfyd fuxe es Bkd vif'k"V ixd'ku ds fy, l ok Lrj ekun.M

(vkadMs ifr'kr es)

I - Ø	Lkok l adrd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkj'ku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	30-50	30-45
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	85-95	85-87
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	20-30	निरंक
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वसूली की सीमा	80	20-30	10-15
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	निरंक	निरंक
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	100	100
7	लागत वसूली सीमा	100	10-40	10-40
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	30-60	30-60

(Lkks-%jkt; l jdkj }kjk tkjh jkti= vf/kl pulk)

5-2-14-1 uxjh; Bkd vif'k"V dk oKkfud fof/k l s fui Vku l hek

इस संकेतक की माप, भूमि भरण स्थल पर निपटान किए गए अपशिष्ट की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में, होनी थी । तथापि, हमने देखा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान हेतु भूमि भरण स्थल विकसित नहीं किया गया था । यह भी देखा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान का कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया गया था, यद्यपि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार इसे 100 प्रतिशत किया जाना था ।

5-2-14-2 ykxr ol myh dh l hek

इस संकेतक की माप, कुल वार्षिक परिचालन व्यय पर कुल वार्षिक परिचालन राजस्व के प्रतिशत के रूप में, होनी थी । हमने देखा कि 2011-15 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर परिचालन व्यय ₹ 2.91 करोड़ के विरुद्ध कोई कर अथवा फीस अधिरोपित नहीं की गई थी । इसलिए, इस संकेतक के अंतर्गत अधिसूचित उपलब्धि बिना किसी आधार पर थी ।

इसे इंगित किए जाने पर देवास नगरपालिक निगम ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि त्रुटिवश गलत आंकड़े राजपत्र में अधिसूचना हेतु प्रेषित किए गए थे । निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया था ।

5-2-15 o"kkz ty fudkl h l ok, a

वर्षा जल निकासी सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में देवास नगरपालिक निगम की 2011-12 से 2014-15 के दौरान उपलब्धियां, जैसा कि राज्य के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थीं:

rkfydk&5-16% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku nokl uxjikfyd fuxe ds o"kkz ty fudkl h ds fy, l ok Lrj ekun.M

I - Ø	Lkok l dard	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kkz 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	50-80	50-70
2	जल भराव की घटनाएं	शून्य	25-60	20-60

(Lkr%jkt; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk)

हमने देखा कि 2014-15 के दौरान देवास नगरपालिक निगम के क्षेत्राधिकार में सड़क तंत्र की कुल लंबाई 427 किलोमीटर थी । तथापि, इन सड़कों के साथ ढकी हुई निकास नालियां नहीं थी । कंडिका 5.2.11.1 में चर्चा किए गए प्रावधानानुसार वर्षा जल निकासी तंत्र के कवरेज की माप, ढकी हुई नालियों के तंत्र के अभाव में, इस संकेतक के विरुद्ध निष्पादन गणना योग्य नहीं था । इसके बावजूद, देवास नगरपालिक निगम ने 2014-15 के दौरान 70 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की जो गलत थी ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया गया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया था ।

vuq kd k

देवास नगरपालिक निगम को अधिसूचित चार सेवाओं जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी, के लिये सेवा स्तर मानदण्डों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके ।

t ukjns uxjikfyd i f"kn-

जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद्, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के द्वारा शासित होती है । यह अपने सेवा क्षेत्र में नागरिक सेवाएं एवं अधोसंरचना सुविधाएं प्रदान करती है । जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत 18 वार्ड है तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 0.23 लाख है । राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार मूलभूत नगरीय सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे । जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् के सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में उपलब्धियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

5-2-16 ty vki fr l ok, a

जल आपूर्ति सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संदर्भ में जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान उपलब्धियां, जैसा कि राज्य के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी, निम्नानुसार थीं :

rkfydk-5-17: t#ukjnø uxj i kfydk i fj "kn- ea ty vki frl l økvka ds fy; s 2011&12 l s 2014&15 ds fy, l øk Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkøk l dard	l øk Lrj ekun.M i fLrdk ds vud kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l øk Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	30-50	30-48
2	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	80-100	45-90
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	निरंक	निरंक
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	3-60	3-5
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	60 मिनट	40 मिनट- 6 घंटे
6	आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	90-100	90-100
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	80-100	75-100
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	18-90	22-100
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	36-90	41-80

(Lkkr %jkt; ljdkj }kjk tkjh jkti= vf/kl pul)

अभिलेखों की समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने राजपत्र में प्रकाशन हेतु राज्य शासन को गलत उपलब्धियां प्रतिवेदित की जैसा नीचे बताया गया :

t#ukjnø
uxj i kfydk
i fj "kn- ea 90
yhVj i fr
0; fDr i frfnu
dh vf/kl fpr
mi yf/k ds
fo: } ty dh
vki frl 53
yhVj
i fr0; fDr
i frfnu Fkh A

- कंडिका 5.2.8.2 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक "प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति" के अन्तर्गत जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की उपलब्धि 2014-15 में 90 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन अधिसूचित की गई । तथापि, अभिलेखों की समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि 2014-15 के दौरान 0.23 लाख की जनसंख्या के लिये उपचारित जल आपूर्ति 53 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी । इस प्रकार, राजपत्र में आंकड़ें बढ़ाकर प्रतिवेदित किए गए थे ।

- हमने देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् में पारिषण स्तर पर साथ ही उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग की व्यवस्था नहीं थी । कंडिका 5.2.8.4 में चर्चा किए गए प्रावधानों के अनुसार सेवा संकेतक - "गैर राजस्व जल की सीमा" की गणना, जल मीटरिंग व्यवस्था के अभाव में नहीं की जा सकी । तथापि, जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने इस सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक के अंतर्गत 3 से 5 प्रतिशत उपलब्धि प्रतिवेदित की ।

- सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक - "जल आपूर्ति की निरंतरता" दबाव सहित की गई जल आपूर्ति प्रतिदिन के औसत घंटों के आधार पर मापी जाना थी । हमने देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने 2014-15 के दौरान इस संकेतक के अंतर्गत उपलब्धि 60 मिनट प्रतिदिन अधिसूचित की थी जबकि इसके सेवा क्षेत्रों में वास्तविक जल आपूर्ति हर दूसरे दिन 45 मिनट थी ।

- सेवा संकेतक - "जल आपूर्ति की गुणवत्ता" की माप उपचार संयंत्र के निकास द्वार एवं उपभोक्ता स्तर, दोनों पर जल नमूनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जानी थी । हमने देखा कि जल गुणवत्ता की जांच कभी नहीं की गई थी । इस प्रकार, राजपत्र में अधिसूचित की गई उपलब्धि (100 प्रतिशत) सही नहीं थी ।

- सेवा स्तर मानदण्ड के संकेतक— उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता, बिना किसी आधार के प्रतिवेदित की गई थी । इसी प्रकार, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक— जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली, परिचालन लागत की वास्तविक वसूली के आधार पर प्रतिवेदित नहीं की गई थी । इस संकेतक के अंतर्गत 2014-15 के दौरान उपलब्धि 14 प्रतिशत संगणित की गई थी (संचालन व्यय ₹ 0.82 करोड़ के विरुद्ध राजस्व ₹ 0.11 करोड़) जबकि राजपत्र में यह 80 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने स्वीकार किया त्रुटिवश गलत डाटा राजपत्र अधिसूचना हेतु प्रदाय किया गया था । निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी तथा निर्देश जारी किए जायेंगे ।

5-2-17 *eyty fudkl h rFkk LoPNrk*

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के संबंध में जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित की गई उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-18% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku t ukjno uxj i kfydk i fj"kn-eyty fudkl h ,oa LoPNrk ds l ok Lrj ekun.M

(vk dM s i fr'kr e)

I - Ø-	Lkok l dnd	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"z 2011&15 ds nkjku vf/kl i pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yfL/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	70-100	70-96
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	निरंक	निरंक
3	मलजल तंत्र के संग्रहण की दक्षता	100	निरंक	निरंक
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	निरंक	निरंक
6	मलजल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	निरंक	निरंक
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	90	90
8	मलजल प्रबंधन लागत वसूली की सीमा	100	निरंक	निरंक
9	मलजल प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	निरंक	निरंक

vk dM s i fr'kr e; l jdkj }kj k tkjh jkti= vf/kl i pr

t ukjno
uxj i kfydk
i fj"kn- us
eyty fudkl h
r s ds dojst
ds fy, dkbz
y{; fu/ktj r
ugha fd; k x; k
Fkk A

हमने देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने मलजल निकासी तंत्र के कवरेज के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था जबकि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार यह 100 प्रतिशत होना था ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् जैसे छोटे नगरीय निकायों के लिये केन्द्रीयकृत मलजल निकासी व्यवस्था परिकल्पित नहीं की थी ।

तथ्य यह है कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक, मलजल निकासी तंत्र के कवरेज हेतु सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका के अनुसार 100 प्रतिशत निर्धारित थी क्योंकि खुली नालियों एवं वर्षा जल नालियों से मलजल के बहाव से जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा करता है ।

5-2-18 Bkd vif'k"V i'ca'ku

जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि की स्थिति निम्नानुसार थी :

rkydk&5-19% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku t'ukjns uxj kfydk ifj"kn- ea Bkd vif'k"V i'ca'ku ds fy, l ok Lrj ekun.M

(vkdM\$ ifr'kr e)

I - Ø-	Lkok l adrd	l ok Lrj ekun.M i f'Lrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl f'pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf'k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	40-100	30-90
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	70-100	60-90
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	0-20	निरंक
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के रिकवर्ड की सीमा	80	निरंक	निरंक
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	निरंक	निरंक
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	80-100	70-100
7	लागत वसूली सीमा	100	0-10	निरंक
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	निरंक	निरंक

¶Lkr% jkT; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk%

हमने देखा कि वर्ष 2014-15 के दौरान 4,844 परिवारों में से 2,880 परिवार (59 प्रतिशत) ही घर-घर कचरा संग्रहण से जुड़े हुए थे । इस प्रकार, घरेलू स्तर पर कवरेज के संदर्भ में अधिसूचित उपलब्धियां (90 प्रतिशत) सही नहीं थी । आगे यह भी देखा कि जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् ने उपभोक्ता शिकायतों के नामांकन तथा निवारण के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया था । इसलिए सेवा स्तर मानदण्ड - उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण में दक्षता, के अंतर्गत उपलब्धि को सत्यापित नहीं किया जा सका ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आगामी कार्रवाई के लिये टीप कर लिया गया था ।

5-2-19 o"kl ty fudkl h l ok, a

वर्षा जल निकासी सेवाओं के संदर्भ में, जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित उपलब्धि निम्नानुसार थी:

rkydk&5-20% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku t'ukjns uxj kfydk ifj"kn- ea o"kl ty fudkl h ds fy, l ok Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkok l adrd	l ok Lrj ekun.M i f'Lrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl f'pr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf'k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	60-100	50-80
2	जल भराव/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक

¶Lkr% jkT; l jdkj }kjk tkjh jkti = vf/kl puk%

हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – वर्षा जल निकासी का कवरेज, के अंतर्गत उपलब्धि अनुमानित आधार पर प्रतिवेदित की गई थी क्योंकि सड़क तथा नालियों (ढकी/खुली हुई) की लंबाई को दर्शित करने से संबंधित कोई अभिलेख जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् में उपलब्ध नहीं था ।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया था ।

वृत्तिका

जुन्नारदेव नगरपालिका परिषद् को अधिसूचित चार सेवाओं, जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी, के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके ।

करेली नगरपालिका परिषद् की कार्यवाही

करेली नगरपालिका परिषद्, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के द्वारा शासित होती है । करेली नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत 15 वार्ड हैं तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 0.30 लाख है । करेली नगरपालिका परिषद् एक सांविधिक संस्था है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अधोसंरचना सुविधाएं तथा नगरीय सेवाएं प्रदान करती है । राज्य सरकार ने 2011-12 से 2014-15 के दौरान चार मूलभूत नगरीय सेवाओं के संबंध में सेवा स्तर मानदण्ड अधिसूचित किए थे । करेली नगरपालिका परिषद् के सेवा स्तर मानदण्ड के लक्ष्यों के कार्यान्वयन में प्राप्त उपलब्धियों के संबंध में आगामी कड़िकाओं में चर्चा की गई है ।

5-2-20 जल आपूर्ति सेवाओं के संबंध में करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

जल आपूर्ति सेवाओं के संबंध में करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

करेली नगरपालिका परिषद् की कार्यवाही 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य (प्रतिशत)	2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति	
			2011-12	2014-15
1	जल आपूर्ति कनेक्शनों का कवरेज (प्रतिशत)	100	30-50	30-50
2	प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति (लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन)	135	62-150	70-150
3	जल कनेक्शनों की मीटरिंग की सीमा (प्रतिशत)	100	निरंक	निरंक
4	गैर राजस्व जल की सीमा (प्रतिशत)	20	0-45	0-41
5	जल आपूर्ति की निरंतरता (घंटे)	24	4-6	2-4
6	आपूर्ति किए गए जल की गुणवत्ता (प्रतिशत)	100	0-20	0-63
7	उपभोक्ता शिकायत निवारण में दक्षता (प्रतिशत)	80	100	100
8	जल आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत)	100	5-100	7-100
9	जल आपूर्ति संबंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत)	90	27-100	40-80

करेली नगरपालिका परिषद् की कार्यवाही 2011-12 से 2014-15 के दौरान निष्पादन की स्थिति, जो राज्य राजपत्र में अधिसूचित की गई थी निम्नानुसार थी:

अभिलेखों की समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि करेली नगरपालिका परिषद् ने राजपत्र में प्रकाशन हेतु राज्य शासन को गलत उपलब्धियां प्रतिवेदित की जैसा कि नीचे बताया गया है:

- सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 2.1.2 के अनुसार सेवा संकेतक – प्रतिव्यक्ति जल आपूर्ति से आशय प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति की मात्रा से है। इस संकेतक के अंतर्गत निष्पादन को वितरण तंत्र को आपूर्ति किए गए परिशोधित जल की मात्रा (मीटर द्वारा मापी गई) के डाटा के आधार पर, मापा जाना था। इस संकेतक के लिए सेवा स्तर मानदण्ड 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन था। करेली नगरपालिका परिषद् ने 2014-15 में इस संकेतक के अंतर्गत 150 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति आपूर्ति उपलब्धि अधिसूचित की थी। तथापि, हमने देखा कि करेली में की जा रही जल आपूर्ति की मात्रा का माप नहीं किया गया था क्योंकि उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति सीधे बोरिंग माध्यम से की जा रही थी। इस प्रकार, अधिसूचित उपलब्धि निराधार थी।

- सेवा संकेतक 'जल आपूर्ति की गुणवत्ता' की माप उपचार संयंत्र के निकास द्वार एवं उपभोक्ता स्तर दोनों पर लिए गए जल नमूनों की वास्तविक संख्या के आधार पर की जानी थी। हमने देखा कि जल की गुणवत्ता की जांच कभी नहीं की गई थी। इस प्रकार, वर्ष 2011-12 के दौरान राजपत्र में अधिसूचित की गई 63 प्रतिशत की उपलब्धि सही नहीं थी।

- सेवा स्तर मानदण्ड के संकेतक उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता, बिना किसी आधार के प्रतिवेदित की गई थी क्योंकि शिकायत निवारण के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सेवा स्तर मानदण्ड के संकेतक – जल आपूर्ति सेवाओं की लागत वसूली वास्तविक वसूली के आधार पर प्रतिवेदित नहीं की गई थी। इस संकेतक के अंतर्गत 2014-15 के दौरान उपलब्धि 20 प्रतिशत (परिचालन व्यय ₹ 0.85 करोड़ के विरुद्ध राजस्व ₹ 0.17 करोड़) संगणित की गई थी परन्तु यह 80 प्रतिशत अधिसूचित की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, करेली नगरपालिका परिषद् ने स्वीकार किया कि राजपत्र में प्रकाशन हेतु त्रुटिवश गलत डाटा प्रेषित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी तथा निर्देश जारी किए जायेंगे।

5-2-21 eyty fudkl h , oa LopNrk

मलजल निकास एवं स्वच्छता सेवाओं के संदर्भ में करेली नगरपालिका परिषद् की 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-22% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku djsyh uxjikfydk ifj"kn-ea eyty fudkl h , oa LopNrk ds fy, l ok Lrj ekun.M

(vkadM\$ ifr'kr e)

I - Ø-	Lkok l drcd	l ok Lrj ekun.M ifLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	शौचालयों का कवरेज	100	78-100	50-100
2	मलजल तंत्र का कवरेज	100	निरंक	निरंक
3	मलजल तंत्र की संग्रहण दक्षता	100	निरंक	निरंक
4	मलजल के उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	निरंक	निरंक

djsyh
uxjikfydk
ifj"kn-us
Lohdkj fd;k
fd jkti = ea
ixdk'ku gsrq
xyr MkVk
=fVo'k if'kr
fd;k x;k Fkk A

I - Ø-	Lkok l dard	I øk Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr I øk Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
5	मलजल के उपचार की गुणवत्ता	100	निरंक	निरंक
6	अनुपयोगी जल के पुनःउपयोग तथा पुनर्चक्रीकरण की सीमा	20	निरंक	निरंक
7	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	निरंक	निरंक
8	मलजल प्रबंधन में लागत वसूली सीमा	100	निरंक	निरंक
9	मलजल सम्बंधी प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	निरंक	निरंक

॥Lkr% jkT; I jdkj }kj k tkjh jkti = vf/kl ipuk%

हमने देखा कि 2014-15 के दौरान करेली नगरपालिका सेवा क्षेत्र में 17 प्रतिशत संपत्तियां (6,454 में से 1,040) व्यक्तिगत या सामुदायिक शौचालयों की पहुंच के बिना थीं। इस प्रकार शौचालयों के कवरेज के अंतर्गत उपलब्धि (100 प्रतिशत) वास्तविक आधार पर नहीं थी। आगे हमने देखा कि करेली नगरपालिका परिषद् ने मलजल निकासी तंत्र के कवरेज हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था जबकि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका के अनुसार यह 100 प्रतिशत होना चाहिए था।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया कि करेली जैसे छोटे नगरीय निकायों के लिये केन्द्रीयकृत मलजल निकासी व्यवस्था परिकल्पित नहीं की गई थी।

तथ्य यह है कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक - मलजल निकासी तंत्र के कवरेज हेतु सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका में 100 प्रतिशत निर्धारित थी क्योंकि खुली नालियों एवं वर्षा जल नालियों से मलजल के बहाव से जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा करता है।

5-2-22 Bkl vif'k"V izaku

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में, करेली नगरपालिका परिषद् के 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

Rkfydk&5-23% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku djsyh uxj i kfydk i fj "kn- ds Bkl vif'k"V izaku ds fy, I øk Lrj ekun.M

(vkadM\$ i fr'kr e\$)

I - Ø-	Lkok l dard	I øk Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kl 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr I øk Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	घरेलू स्तर पर कवरेज	100	15-100	30-100
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण में दक्षता	100	80-100	80-100
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट की पृथक्करण सीमा	100	5-25	0-25
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट के रिकवर्ड की सीमा	80	5-25	0-15
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा	100	5-25	10-25
6	उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	0-100	0-100
7	लागत वसूली सीमा	100	0-5	0-2.5
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	90	0-20	निरंक

॥Lkr% jkT; I jdkj }kj k tkjh jkti = vf/kl ipuk%

हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण के विरुद्ध 2013-14 के दौरान अधिसूचित 25 प्रतिशत तक की उपलब्धि अवास्तविक थी क्योंकि करेली नगरपालिका परिषद् में नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। परिणामस्वरूप, सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – नगरीय ठोस अपशिष्ट के रिकवर्ड की सीमा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक विधि से निपटान की सीमा के विरुद्ध, अधिसूचित उपलब्धियां निराधार थीं।

हमने यह भी देखा कि करेली नगरपालिका परिषद् ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के नामांकन तथा निवारण हेतु कोई अभिलेख संधारित नहीं किया। इसलिए सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक – उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में दक्षता के अंतर्गत उपलब्धि को सत्यापित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (सितंबर 2015) में शासन ने बताया गया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आगामी कार्रवाई हेतु टीप कर लिया गया।

5-2-23 o"kkz ty fudkl h l ok, a

वर्षा जल निकासी सेवाओं के संदर्भ में करेली नगरपालिका परिषद् के 2011-12 से 2014-15 के दौरान राज्य राजपत्र में अधिसूचित निष्पादन की स्थिति निम्नानुसार थी:

rkfydk&5-24% 2011&12 l s 2014&15 ds nkjku djsyh uxj kfydk ifj "kn- ds o"kkz ty fudkl h ds fy, l ok Lrj ekun.M

I - Ø-	Lkok l dard	l ok Lrj ekun.M i fLrdk ds vuq kj ekun.M	o"kkz 2011&15 ds nkjku vf/kl fpr l ok Lrj ekun.M	
			y{;	mi yf/k
1	वर्षा जल निकासी तंत्र का कवरेज (प्रतिशत में)	100	60-100	25-83.5
2	जल भराव/बाढ़ की घटनाएं	शून्य	निरंक	निरंक

¶Lkr% jkT; l jdkj }kjk tkjh jkti= vf/kl puk%

हमने देखा कि सेवा स्तर मानदण्ड संकेतक— वर्षा जल निकासी का कवरेज के अंतर्गत 2014-15 के दौरान राजपत्र में 80 प्रतिशत की उपलब्धि अधिसूचित की गई थी। तथापि, हमने देखा कि करेली नगरपालिका परिषद् में सड़कों तथा नालियों (बंद/खुली) की लंबाई दर्शित करने से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किए गए। इन अभिलेखों के अभाव में अधिसूचित उपलब्धि सत्यापित नहीं की जा सकी।

vuq kd k

करेली नगरपालिका परिषद् द्वारा चार अधिसूचित सेवाओं, जल आपूर्ति, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी के लिये सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा प्रदायगी में जवाबदेही बेहतर हो सके।

5-2-24 l ok Lrj ekun.M dk vuqph{k.k , oa ew; kdu

सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका की कंडिका 1.3 के अनुसार, राज्य सरकार को नीति, संसाधन के आवंटन, प्रोत्साहन एवं दण्ड देने तथा तकनीकी एवं मानवशक्ति सहयोग को चरणबद्ध करने के लिए निर्णय हेतु इनपुट से संबंधित सेवा स्तर मानदण्ड के आवधिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने राज्य स्तर पर सेवा स्तर मानदण्डों के परिचय एवं निरन्तर अनुवीक्षण में सहयोग के लिए, सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ के गठन का सुझाव दिया था (जनवरी 2014)। राज्य के सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ के क्रियाकलाप में, वार्षिक निष्पादन आकलन के लिए ऑनलाईन

पद्धति स्थापित करना, निष्पादन सुधार आयोजना हेतु टूल्स, लक्ष्य निर्धारण एवं विभिन्न सुधारात्मक विषयों से संबंधित अच्छी परिपाटी का प्रदर्शन, करना सम्मिलित था ।

हमने देखा कि नगरीय स्थानीय निकायों से सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन के लिए राज्य स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ गठित हुआ था (फरवरी 2012) । तथापि, सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ, सौंपे गये कार्य, जैसे वार्षिक निष्पादन आकलन के लिए ऑनलाईन पद्धति का विकास करना, निष्पादन सुधार आयोजना हेतु टूल्स लक्ष्य निर्धारण एवं विभिन्न सुधारात्मक विषयों से संबंधित अच्छी परिपाटी का प्रदर्शन करना, पूरा नहीं कर सका ।

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने सूचित किया (मार्च 2015) कि सम्भागीय कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्रियों को, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सूचित सेवा स्तर मानदण्ड एवं उपलब्धियों का, मूल्यांकन करने हेतु निर्देशित किया गया । तथापि, सम्भागीय कार्यालय के कार्यपालन यंत्रियों ने सूचित किया (मई 2015 एवं जुलाई 2015) कि उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए । इस प्रकार, नगरीय स्थानीय निकायों के सेवा स्तर मानदण्डों की जांच, सत्यापन, तुलना एवं मूल्यांकन सम्भागीय स्तर पर नहीं किया गया ।

आगे, जैसा कि कंडिका 5.2.6 में चर्चा की गई थी, विभागीय स्तर पर प्रतिवेदित निष्पादन संकेतकों का नगरीय स्थानीय निकायों के प्रबन्धकीय स्तर (महापौर/आयुक्त) पर कभी भी समीक्षा नहीं की गई यद्यपि सेवा स्तर मानदण्ड की पुस्तिका में इसका उल्लेख था ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) में शासन ने बताया गया कि अनुवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा ।

व्युत्पत्ति

सेवा स्तर मानदण्डों के लक्ष्य के स्तरों की प्राप्ति के लिये राज्य स्तर पर तथा नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन का पर्याप्त अनुवीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

5-2-25 अनुवीक्षण तंत्र, सेवा स्तर मानदण्डों के एकत्रीकरण, सत्यापन, तुलना एवं मूल्यांकन

- नमूना जांच किए गए चार नगरीय स्थानीय निकायों ने 2010-11 एवं 2014-15 के मध्य चार मूलभूत नगरीय सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी की प्रदायगी पर ₹ 473.16 करोड़ व्यय किया । इसके अतिरिक्त, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन एवं छोटे एवं मझौले शहरों के लिए अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत चार परियोजनाओं पर मार्च 2015 तक, ₹ 682.67 करोड़ व्यय किए गए । संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद मूलभूत सेवाओं के सुधार हेतु तीन अन्य परियोजनाएं प्रारम्भ नहीं हुई थी । चालू परियोजनाओं के अपूर्ण रहने के फलस्वरूप, इन नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सेवाओं की गुणवत्ता, अधिसूचित मानदण्डों के अनुरूप नहीं थी ।
- सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों के आंकड़ों के एकत्रीकरण हेतु संस्थागत प्रणाली का अभाव था, जो कि प्रबन्धन के लिए, मूलभूत सेवाओं के प्रदाय में सुधार करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई योजना बनाने के लिए आवश्यक था । वास्तविक आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में, राज्य राजपत्र में सेवा स्तर

मानदण्ड संकेतकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां अनुमान आधार पर अधिसूचित किए गए ।

Vuq kI k% नगरीय स्थानीय निकायों को निष्पादन प्रबन्धन हेतु मैदानी स्तर से वास्तविक आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली संस्थापित करना चाहिए । रहवासियों के मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने एवं सेवा स्तर मानदण्ड लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए ।

- सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण के माध्यम से क्षमता निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त थे । सेवा स्तर मानदण्ड हेतु अधिसूचित 114 नगरीय स्थानीय निकायों में से 68 नगरीय स्थानीय निकायों के 136 अधिकारियों को 2014-15 के दौरान आयोजित एक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया गया था । आगे, नामित 136 अधिकारियों में से केवल 70 अधिकारी (51 प्रतिशत) प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस प्रकार, समस्त अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों के अमले को सेवा स्तर मानदण्ड के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सका जिससे कि वे निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली में अपनी भूमिका निभाने के योग्य हो सके ।

Vuq kI k% समस्त स्तर पर राज्य सरकार को क्षमता निर्माण हेतु सेवा स्तर मानदण्ड पर पर्याप्त प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि अमले सक्षम बनाकर समग्र निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली में वह अपनी सम्बंधित भूमिका निभा सके ।

- चार सेवाओं – जल प्रदाय, मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी में सेवा स्तर मानदण्ड का कार्यान्वयन, सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड स्तर के अनुरूप सुनिश्चित नहीं किया गया । आगे, बहुत से मामलों में अधिसूचित उपलब्धियां सही नहीं पाई गई थी ।

Vuq kI k% नगरीय स्थानीय निकायों को चार अधिसूचित सेवाओं जल आपूर्ति, मलजल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वर्षा जल निकासी के लिए सेवा स्तर मानदण्ड के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सेवा वितरण में जवाबदेही बेहतर हो सके ।

- नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन हेतु राज्य स्तर पर गठित सेवा स्तर मानदण्ड प्रकोष्ठ ने एकत्रित आंकड़ों का अनुवीक्षण नहीं किया । आगे सेवा स्तर मानदण्ड संकेतकों की उपलब्धियों की समीक्षा नगरीय स्थानीय निकायों के महापौर/आयुक्त द्वारा नहीं की गई थी यद्यपि यह सेवा स्तर मानदण्ड पुस्तिका में वर्णित था ।

Vuq kI k% सेवा स्तर मानदण्डों के लक्ष्य के स्तरों की प्राप्ति के लिये, राज्य स्तर तथा नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर सेवा स्तर मानदण्ड आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं सत्यापन का पर्याप्त अनुवीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।